



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062020-219896
CG-DL-E-11062020-219896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2020/ज्येष्ठ 20, 1942

No. 284]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2020/JYAISHTHA 20, 1942

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2020

मानवरहित विमान प्रणाली नियम, 2020

सा.का.नि. 365(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 4, 5 और धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्वारा, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित करती है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जिस तारीख को भारत का राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी, उस तारीख से तीस दिन की अवधि के बाद उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, नागर विमानन महानिदेशक, सफरदजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली - 110003 को संबोधित किए जा सकते हैं या hbiswas.dgca@nic.in को मेल किए जा सकते हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियमों

भाग I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार — (1) इन नियमों का नाम, मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम समस्त भारत पर विस्तारित होंगे और निम्न पर भी लागू होंगे (जब तक कि विपरीत आशय न प्रतीत होता हो) –

(क) भारत में पंजीकृत यूएएस पर, जहां कहीं भी ये हो सकते हैं; या

(ख) भारत में किसी यूएएस का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले या इसके आयात, कारोबार, पट्टे पर देने, प्रचालन, हस्तांतरण या अनुरक्षण में लगे किसी व्यक्ति पर; या

(ग) तत्समय भारत में या भारत के ऊपर रहने वाले सभी यूएएस पर;

(3) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तित होंगे।

(4) वायुयान नियम, 1937 में निहित प्रावधान, यूएएस और इनसे संबंधित और अनुषंगी मामलों पर लागू नहीं होंगे, उन प्रावधानों को छोड़कर जिनके यूएएस पर अनुप्रयोग का प्रावधान मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2020 में विशेष रूप से किया गया है।

2. परिभाषाएं और व्याख्या — (1) इन नियमों में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई भी बात प्रतिकूल न हो —

- 1) “अधिनियम” का आशय वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) से है।
- 2) “अनुमोदित यूएएस प्रचालन” का आशय इन नियमों के अनुसार किसी अनुपालक यूएएस द्वारा प्रचालन से है।
- 3) “प्राधिकृत यूएएस आयातक” का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन भारत से बाहर किसी स्थान से किसी यूएएस या इसके किसी भाग या किसी पुर्जे के आयात के लिए प्राधिकृत है;
- 4) “प्राधिकृत यूएएस निर्माता” का आशय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन भारत से बाहर किसी स्थान से किसी यूएएस या इसके किसी भाग या किसी पुर्जे के निर्माण के लिए प्राधिकृत है;
- 5) “प्राधिकृत यूएएस स्वामी” का आशय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन मानवरहित विमान प्रणाली(यूएएस) का स्वामी बनने या उसे पट्टे पर लेने के लिए प्राधिकृत है;
- 6) “प्राधिकृत यूएएस प्रचालक” का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन मानवरहित विमान प्रणाली के प्रचालन कार्य में नियोजन करने या नियोजित किए जाने की प्रस्थापना के लिए प्राधिकृत है;
- 7) “प्राधिकृत यूएएस कारोबारी” का आशय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन किसी यूएएस या इसके किसी भाग या किसी पुर्जे का कारोबार करने (क्रय या बिक्री या पट्टे पर) के लिए प्राधिकृत है;
- 8) “स्वायत्त विमान” का आशय ऐसे मानवरहित विमान से है जिसके लिए उड़ान के प्रबंधन में पायलट का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होता;
- 9) “स्वायत्त प्रचालन” का आशय ऐसे प्रचालन से है जिसके दौरान रिमोट से प्रचालित विमान, उड़ान के प्रबंधन में पायलट के हस्तक्षेप के बिना प्रचालित हो रहा हो;
- 10) “दृश्य दृष्टिरेखीय प्रचालन से परे” का आशय ऐसे प्रचालन से है जिसमें रिमोट पायलट या पर्यवेक्षक उड़ान के संचालन में रिमोट द्वारा प्रचालित विमान के लिए दृश्य संदर्भ का प्रयोग नहीं करता;
- 11) “निर्माता प्रमाणपत्र” का आशय महानिदेशक, या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए जारी किए गए दस्तावेज से है कि विनिर्दिष्ट बनावट और श्रेणी के लिए मानवरहित विमान प्रणाली का डिजाइन इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है;
- 12) “कमांड और कंट्रोल लिंक” का आशय, उड़ान का प्रबंधन करने के प्रयोजनार्थ, मानवरहित विमान और रिमोट पायलट स्टेशन के बीच डेटा लिंक से है;
- 13) “अनुपालक यूएएस” का आशय इन नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालक यूएएस से है;
- 14) “संविदाकारी देश” का आशय ऐसे देश से है जो तत्समय के लिए, दिनांक 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में सम्पन्न अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय, और इस अभिसमय के अनुच्छेद 94 के प्रावधानों के अंतर्गत इसमें किए गए किसी भी संशोधन का पक्षकार है;
- 15) “नियंत्रित हवाईक्षेत्र” का आशय परिभाषित आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है जिसके भीतर हवाईक्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार हवाई यातायात नियंत्रण सेवा मुहैया कराई जाती है;

- 16) "खतरे का क्षेत्र" का आशय परिभाषित आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है जिसके भीतर विनिर्दिष्ट समय पर मानवरहित विमान प्रणाली की उड़ान के लिए खतरनाक गतिविधियां मौजूद हैं;
- 17) "ड्रोन गलियारा" का आशय यूएस के प्रचालन के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा परिभाषित किसी पृथक पथ या हवाईक्षेत्र से है;
- 18) "महानिदेशक" का आशय नागर विमानन महानिदेशक से है;
- 19) "ड्रोन पोर्ट" का आशय भूमि या जल पर किसी परिभाषित क्षेत्र (किसी भी भवन, संस्थापनाओं और उपस्करों सहित) से है जिसे पूर्णतः या अंशतः मानवरहित विमानों के आगमन, प्रस्थान, भूतल आवागमन और संबद्ध अनुरक्षण या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाना अभिप्रेत है;
- 20) "जियो-फेंसिंग" का आशय किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में निहित ऐसे फीचर से है जिसमें भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है;
- 21) "लाइसेंस" का आशय इन नियमों के अंतर्गत जारी लाइसेंस से है;
- 22) "अनुरक्षण" का आशय किसी मानवरहित विमान प्रणाली की निरंतर उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कार्यों के निष्पादन से है, जिनमें ओवरहॉलिंग, निरीक्षण, प्रतिस्थापन, खामी सुधार और किसी आशोधन या मरम्मत या परीक्षण में से कोई एक कार्य या इनमें से किन्हीं का संयोजन शामिल है;
- 23) "निर्माता" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो यूएस या इसके किसी भाग या पुर्जे का निर्माण या संयोजन करता है;
- 24) "आदर्श रिमोट-संचालित विमान प्रणाली" का आशय केवल शैक्षिक या प्रयोगात्मक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त और रिमोट द्वारा संचालित विमान प्रणाली को प्रचालित करने वाले व्यक्ति की दृष्टि रेखा के भीतर उड़ाए जाने वाले, पेलोड रहित रिमोट-संचालित विमान से है;
- 25) "स्वामी" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मानवरहित विमान प्रणाली का स्वामित्व रखता है या पट्टे पर लेता है;
- 26) "प्रचालक" का आशय मानवरहित विमान प्रचालन में नियोजित या नियोजित होने के लिए तत्पर किसी व्यक्ति, संगठन या उद्यम से है;
- 27) "भार" का आशय मानवरहित विमान में रखे गए किसी पुर्जे या उपस्कर या किसी अन्य सामग्री से है जो उड़ान या इसके नियंत्रण के लिए अपेक्षित नहीं है;
- 28) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति या कम्पनी या कोई फर्म या व्यक्तियों का संयोजन या व्यक्तियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कोई विधिक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, केंद्रीय या राज्य सरकार या इसकी कोई भी एजेंसी शामिल है;
- 29) "निषिद्ध क्षेत्र" का आशय भारत के भू क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर परिभाषित आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है जिसके भीतर किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय यूएस की उड़ानों की अनुमति नहीं है;
- 30) "मनोरंजन उड़ान" का आशय रिमोट पायलट की खुशी, अवकाश या आनंद मात्र के लिए किसी मानवरहित विमान की उड़ान गतिविधि से है;
- 31) "रिमोट पायलट" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे रिमोट-संचालित विमान के प्रचालन के लिए आवश्यक कार्य, प्रचालक द्वारा सौंपा गया हो और जो उड़ान समय के दौरान उड़ान नियंत्रणों को, यथोचित रूप से अपने हाथ में लेता है;
- 32) "रिमोट-संचालित विमान" का आशय ऐसे मानवरहित विमान से है, जिसे रिमोट पायलट स्टेशन से संचालित किया जाता है;
- 33) "रिमोट संचालित विमान प्रणाली" का आशय रिमोट से संचालित मानवरहित विमान, इसके सहयोगी रिमोट पायलट स्टेशन, अपेक्षित कमांड और कंट्रोल लिंक्स और अन्य अवयवों से है;

- 34) “रिमोट पायलट स्टेशन” का आशय रिमोट-संचालित विमान प्रणाली के घटक से है जिसमें रिमोट-संचालित विमान को प्रचालित करने के लिए प्रयुक्त उपस्कर शामिल हैं;
 - 35) “प्रतिबंधित क्षेत्र” का आशय भारत के भू-क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर, परिभाषित आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है जिसके भीतर किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय मानवरहित विमान प्रणाली की उड़ान प्रतिबंधित है;
 - 36) “रिमोट-संचालित विमान पर्यवेक्षक” का आशय प्रचालक द्वारा नामित ऐसे प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति से है जो, रिमोट-संचालित विमान के दृश्य पर्यवेक्षण द्वारा, उड़ान के संरक्षित संचालन में रिमोट पायलट की सहायता करता है;
 - 37) “पृथक हवाईक्षेत्र” का आशय विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) के लिए विशिष्ट प्रयोग के लिए आवंटित विनिर्दिष्ट आयामों वाले हवाईक्षेत्र से है;
 - 38) “संव्यवहार संख्या” का आशय ऐसी विशिष्ट संख्या से है जो ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण किए गए किसी संव्यवहार की पहचान लिए सृजित किया गया हो।
 - 39) “मानवरहित विमान” का आशय ऐसे मानवरहित विमान से है, जिसे उड़ान में बिना किसी पायलट के प्रचालित किया जाना अभिप्रेत है;
 - 40) “मानवरहित विमान प्रणाली” का आशय एक मानवरहित विमान और इसके संबद्ध तत्वों से है, जिन्हें उड़ान में बिना किसी पायलट के प्रचालित किया जाता है;
 - 41) “यूएस यातायात प्रबंधन” का आशय हवाई यातायात प्रबंधन के विनिर्दिष्ट पहलू से है जिसमें सभी पक्षकारों के सहयोग से निर्बाध सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के जरिए संरक्षित, किफायती और कुशल रूप से यूएस प्रचालनों का प्रबंधन किया जाता है और जिसमें वायुजनित और भू-आधारित कार्यकलाप शामिल होते हैं;
 - 42) “यूएस यातायात प्रबंधन प्रणाली” का आशय ऐसी प्रणाली से है जो हवाई, भू या अंतरिक्ष-आधारित संप्रेषणों, दिक्चालन और सर्विलांस द्वारा समर्थित, मानवों, सूचना, प्रौद्योगिकी, सुविधाओं और सेवाओं के सहयोगी एकीकरण के माध्यम से मानवरहित विमान के लिए यातायात प्रबंधन मुहैया कराती है;
 - 43) “विशिष्ट प्राधिकार संख्या” का आशय किसी व्यक्ति को आयातक या निर्माता या कारोबारी या स्वामी या प्रचालक के रूप में कार्य करने के लिए जारी की गई विशिष्ट प्राधिकार संख्या से है;
 - 44) “विशिष्ट पहचान संख्या” का आशय पंजीकरण देश द्वारा मानवरहित विमान के पंजीकरण के लिए जारी की गई विशिष्ट पहचान संख्या से है;
 - 45) “दृश्य दृष्टिरेखीय प्रचालन” का आशय ऐसे प्रचालन से है जिसमें रिमोट पायलट या पर्यवेक्षक रिमोट संचालित विमान के साथ प्रत्यक्ष सहायतारहित दृश्य संपर्क अनुरक्षित करता है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और शर्तों के वही आशय होंगे जो इन्हें अधिनियम में क्रमशः प्रदान किए गए हैं।

भाग II

वर्गीकरण / क्रम विन्यास

3. मानवरहित यान प्रणाली का वर्गीकरण — मा.या.प्र. (UAS) का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाना है:-

- (1) रिमोट चालित यान प्रणाली (RPAS);
- (2) मॉडल रिमोट चालित यान प्रणाली;
- (3) मानव रहित स्वायत्त यान प्रणाली।

4. मानवरहित यान का क्रम विन्यास : — मानवरहित यान (UA) का क्रम विन्यास मानवरहित यान के समग्र भार (पेलोड सहित) के आधार पर निम्नानुसार किया जाना है:-

- i) नैनो: 250 ग्राम से कम अथवा समान;

- ii) सूक्ष्म: 250 ग्राम से अधिक तथा 2 किलोग्राम से कम अथवा समान;
- iii) लघु: 2 किलोग्राम से अधिक तथा 25 किलोग्राम से कम अथवा समान;
- iv) मध्यम: 25 किलोग्राम से अधिक तथा 150 किलोग्राम से कम अथवा समान; तथा
- v) विशाल: 150 किलोग्राम से अधिक

स्पष्टीकरण — नीचे उल्लिखित किसी भी निष्पादन मापदंड से अधिक होने की स्थिति में नैनो वर्ग के मानवरहित यान का वर्गीकरण अगले उच्च वर्ग में किया जाएगा:-

- (1) समस्तर उड़ान में अधिकतम गति 15 मीटर/सैकेंड तक सीमित होने पर;
- (2) रिमोट पॉयलट से अधिकतम साध्य ऊंचाई 15 मीटर तक सीमित होने तथा रेंज 100 मीटर तक सीमित होने पर;

भाग III

आयातक, निर्माता, व्यापारी, स्वामी तथा प्रचालक को प्राधिकार प्रदान करना

5. प्राधिकृत व्यक्ति— महानिदेशक से प्राधिकार प्राप्त करके कोई भी आयातक, निर्माता, व्यापारी, स्वामी अथवा प्रचालक क्रमशः प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली आयातक, प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली निर्माता, प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली व्यापारी, प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली स्वामी अथवा प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली प्रचालक हो सकता है।

6. किसी व्यक्ति को प्राधिकार प्रदान करना— नीचे उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी आवेदक को महानिदेशक द्वारा प्राधिकार प्रदान जा सकता है:—

- (i) नियम 7 में विनिर्दिष्ट अर्हता शर्तों को पूरा करने; तथा
- (ii) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करने पर।

7. प्राधिकार प्राप्त करने की अर्हता शर्तें :— नियम 5 में संदर्भित किसी व्यक्ति को नीचे उल्लिखित अर्हता शर्तों को पूरा करने पर प्राधिकार प्रदान किया जा सकेगा: —

(i) कोई भी व्यक्ति जो —

- (क) भारत का नागरिक है, तथा
- (ख) जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा अधिक है; अथवा

(ii) किसी भी कंपनी अथवा कारपोरेट निकाय को इस शर्त पर कि—

- (1) वह पंजीकृत है तथा उसके व्यवसाय का प्रधान स्थल भारत में है, तथा
- (2) जिसके अध्यक्ष तथा कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हैं. अथवा

(iii) कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा व्यक्ति-निकाय अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई विधिक इकाई, जो निगमित हो अथवा न हो, केन्द्र तथा राज्य सरकार अथवा उनकी कोई एजेंसी को जो :

परंतु, इस नियमावली के खंड (ii) तथा (iii) के संदर्भ में सारभूत स्वामित्व एवं प्रभावी नियंत्रण भारत के नागरिकों को प्राप्त होने की शर्त पर है।

8. प्राधिकार संख्या— (1) नियम 6 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली आयातक, प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली निर्माता, प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली व्यापारी, प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली स्वामी अथवा प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली प्रचालक के रूप में कार्य करने के लिए अपेक्षित प्राधिकार संख्या की प्राप्ति के लिए अनुसूची I में विनिर्दिष्ट विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) नियम 6 के अंतर्गत अपेक्षाओं के प्रति संतुष्ट होने पर महानिदेशक द्वारा आवेदक को विशिष्ट प्राधिकार संख्या (UAN) जारी किया जा सकेगा।

(3) आवश्यक पाए जाने की स्थिति में महानिदेशक द्वारा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आवेदक जिसमें कारपोरेट निकायों के मामले में निदेशक अथवा उच्च प्रबंधन पद प्राप्त अन्य व्यक्ति शामिल हैं, के संबंध में सम्बद्ध प्राधिकरण से क्लीयरेंस प्राप्त की जा सकेगी:

परन्तु ऐसी क्लीयरेंस केन्द्र तथा राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों के लिए अपेक्षित नहीं होगी।

9. नए प्राधिकार— प्राधिकार संख्या जारी किए जाने के पश्चात अर्हता शर्तों के संबंध में प्रस्तुत प्रत्यय पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की सूचना महानिदेशक को तत्काल प्रस्तुत की जाएगी तथा अर्हता शर्तों को पूर्ण किए जाने की शर्त पर एक नया प्राधिकार जारी किया जा सकेगा, बशर्ते अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाए।

10. वैधता (1) — यदि निलंबित, प्रतिसंहरण अथवा रद्द नहीं किया गया है तो प्रत्येक मामले में पांच वर्ष की अधिकतम अवधि की शर्त पर प्राधिकार की वैधता उसमें उल्लिखित अवधि के लिए मान्य होगी तथा नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के समय से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए इसका नवीकरण किया जा सकेगा:

परन्तु, कालावधि समाप्त प्राधिकार का नवीकरण केवल तभी किया जाएगा जब आवेदक द्वारा नियम 7 में विनिर्दिष्ट अर्हता शर्तों को पूरा कर लिया गया हो।

(2) वैधीकरण संख्या की वैधता के नवीकरण हेतु, व्यक्ति अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रूप में तथा प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

भाग IV

मानवरहित यान प्रणाली (UAS) का आयात, निर्माण तथा अनुरक्षण

11. सामान्य — किसी मानवरहित यान प्रणाली (UAS) अथवा उसके किसी भाग अथवा घटक का भारत में आयात अथवा निर्माण, अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने पर ही किया जा सकेगा, जबतक कि विनिर्माता से प्रमाणपत्र प्राप्त न किया जाए।

12. मानवरहित यान प्रणाली (UAS) का भारत में आयात — (1) प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) आयातक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मानवरहित यान प्रणाली (UAS) अथवा उसके किसी भाग अथवा घटक का भारत में आयात नहीं करेगा।

(2) (क) मानवरहित यान प्रणाली (UAS) अथवा उसके किसी भाग अथवा घटक का भारत में आयात करने के लिए 'प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) आयातक' को अनुसूची II में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार महानिदेशक से मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के आयात की क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ख) महानिदेशक द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय को आयात क्लीयरेंस की अनुशंसा की जा सकेगी।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के आयात के लिए मानकों के अनुसार आयात लाइसेंस जारी किया जा सकेगा।

13. भारत में मानवरहित यान प्रणाली (UAS) का निर्माण — प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) निर्माता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मानवरहित यान प्रणाली (UAS) अथवा उसके किसी भाग अथवा घटक का भारत में निर्माण नहीं किया जाएगा।

14. निर्माण संगठन — मानवरहित यान प्रणाली (UAS) अथवा उसके किसी भाग अथवा घटक के निर्माण के लिए प्राधिकृत संगठन को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करना होगा तथा ऐसे संगठनों का निरीक्षण एवं संरक्षा निगरानी महानिदेशक द्वारा की जा सकेगी।

15. मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के 'निर्माण के लिए प्रमाण पत्र' — (1) भारत में निर्मित अथवा आयातित मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के संबंध में निर्माण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(2) मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के प्रमाणन के उद्देश्य से अनुसूची II में विनिर्दिष्ट निर्माण अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक द्वारा परीक्षण प्रयोगशालाओं अथवा संगठनों को नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) ऐसी परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगठनों की नियुक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में तथा प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। ऐसी परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगठनों की सूची विनिर्माण प्रमाणपत्र हेतु सभी आवेदकों की जागरूकता हेतु आनलाइन पोर्टल में प्रकाशित की जाएगी।

(4) (क) निर्माण प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए 'प्राधिकृत मानवरहित यान निर्माता अथवा आयातक' को अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट रूप और प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ख) आवेदक वरीयता के क्रम में परीक्षण प्रयोगशालाओं या संगठनों का विकल्प प्रस्तुत करेगा।

(ग) आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदक के लिए परीक्षण प्रयोगशाला अथवा किसी संगठन का निर्धारण महानिदेशक द्वारा किया जा सकेगा।

(5) मानवरहित यान प्रणाली के डिजाइन पहलू एवं अन्य निर्माण अपेक्षाएं अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं, प्रत्येक प्रकार के लिए यथा लागू, के अनुपालन में किए जाने को प्रमाणित करने के लिए आवेदक को उप-नियम (3) के अंतर्गत निर्धारित परीक्षण प्रयोगशाला अथवा संगठन के सम्मुख मानवरहित यान प्रणाली को, डिजाइन दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(6) परीक्षण प्रयोगशाला अथवा संगठन द्वारा परीक्षण रिपोर्ट एवं अपनी अनुशंसाएं महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएंगी तथा इसके आधार पर महानिदेशक द्वारा मानवरहित यान प्रणाली के 'निर्माण के लिए प्रमाण पत्र' जारी किया जा सकेगा:

परन्तु यह नियम 300 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बड़े आकार के मानवरहित यानों के मामले में लागू नहीं होगा तथा ऐसी मानवरहित यान प्रणाली के मामले में वायुयान नियमावली, 1937 के भाग VI के अंतर्गत उड़नयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

16. मानवरहित यान प्रणाली (UAS) का अनुरक्षण — (1) किसी मानवरहित यान प्रणाली का प्रचालन भारत में तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उसका अनुरक्षण इस नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत न किया गया हो।

(2) भारत में प्रचालन की जाने वाली मानवरहित यान प्रणाली के प्रत्येक निर्माता अथवा आयातक द्वारा अनिवार्य तौर पर अनुरक्षण अपेक्षाओं तथा प्रक्रियाओं से युक्त अनुरक्षण मैनुअल उपलब्ध करवाया जाएगा तथा ऐसे अनुरक्षण के लिए प्राधिकृत अनुरक्षण कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। अनुरक्षण नियमावली यूएसए से संबंधित दस्तावेजों का भाग होगा, जिसे किसी प्राधिकृत व्यापारी, स्वामी या प्रचालक के अनिवार्य विक्री अभिलेखों के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) निर्माता अथवा आयातक, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्माता के अनुरक्षण मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों से युक्त, प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना भी की जाएगी। यूएसए का विनिर्माता या आयातक, प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगा।

(4) निर्माता द्वारा उप-नियम (3) के अंतर्गत स्थापित प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों की जानकारी महानिदेशक को लिखित रूप में दी जाएगी तथा ऐसे केन्द्र महानिदेशक द्वारा संरक्षा निगरानी किए जाने के अध्यक्षीन होंगे। प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों पर अनुरक्षण रिकार्डों, और प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्रों की सुरक्षा निगरानी के अनिवार्य रिकार्ड, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार रखे जाएंगे।

(5) स्वामी तथा प्रचालक द्वारा मानवरहित यान प्रणाली का, अनुरक्षण मैनुअल के अनुसार अनुरक्षण किए जाने तथा ऐसे अनुरक्षण के रिकार्ड का रखरखाव, महानिदेशक द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किए जाने का सुनिश्चय किया जाएगा।

(6) निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट उपयोग काल के पश्चात किसी भी मानवरहित यान प्रणाली अथवा उसके किसी घटक का प्रचालन नहीं किया जा सकेगा:

परन्तु, इस नियमावली के प्रावधान, 300 किलोग्राम से अधिक वजन के बड़े आकार की मानवरहित यान प्रणाली के संबंध में लागू नहीं होंगे तथा ऐसी मानवरहित यान प्रणाली के मामले में वायुयान नियमावली, 1937 के भाग VI के अंतर्गत उड़नयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

भाग V

मानवरहित यान प्रणाली (UAS) की पहचान तथा अंतरण

17. सामान्य — आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त मानवरहित यान प्रणाली के अलावा अन्य किसी मानवरहित यान प्रणाली का प्रचालन भारत में नहीं किया जाएगा।

18. अनुपालक मानवरहित यान— प्रत्येक मानवरहित यान अनुसूची II में विनिर्दिष्ट निर्माण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा तथा वैध विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करेगा। ऐसे मानवरहित यान को अनुपालक मानवरहित यान माना जाएगा।

19. मानवरहित यान का पंजीकरण— (1) मानवरहित यान (UA) के संबंध में विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के आयातक अथवा निर्माता को अनुसूची III में विनिर्दिष्ट विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) महानिदेशक द्वारा, अनुपालक मानवरहित यान से संबंधित अपेक्षाओं के प्रति संतुष्ट होने पर आवेदक को विशिष्ट प्राधिकार संख्या (UAN) जारी किया जा सकेगा।

(3) ऐसी विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) को मानवरहित यान पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा कि यह पहचान योग्य एवं स्पष्ट दिखाई दिए जाने योग्य हो।

20. भारत में मानवरहित यान प्रणाली (UIN) का व्यापार — भारत में 'मानवरहित यान प्रणाली के प्राधिकृत व्यापारी' के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मानवरहित यान प्रणाली अथवा उसके किसी भाग अथवा घटक के क्रय अथवा विक्रय अथवा पट्टांतरण में संलिप्त नहीं हो सकेगा।

21. भारत में मानवरहित यान प्रणाली (UIN) के स्वामी — भारत में 'प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के प्राधिकृत स्वामी' के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मानवरहित यान (UAS) अथवा उसके किसी भाग अथवा घटक का स्वामित्व प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

22. मानवरहित यान प्रणाली (UIN) का अंतरण — (1) मानवरहित यान प्रणाली के क्रय, पट्टांतरण अथवा अंतरण की प्रक्रिया केवल किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति के साथ अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी।

(2) प्राधिकृत व्यक्तियों के मध्य की जाने वाली संव्यवहार प्रक्रिया का अनुमोदन, महानिदेशक से प्राप्त किए बिना, अन्य किसी भी विधि से किसी मानवरहित यान प्रणाली (UAS) की बिक्री अथवा पट्टांतरण अथवा अंतरण नहीं किया जा सकेगा।

(3) मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के अंतरण के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक संव्यवहार के परिणामस्वरूप, मानवरहित यान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या की सम्बद्धता अंतरिती के पक्ष में की जाएगी।

23. स्वामित्व में परिवर्तन — (1) मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के पंजीकृत स्वामी द्वारा महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट विधि तथा स्वरूप में और प्रक्रिया के अनुसार, महानिदेशक को ऐसे मामले के बारे में तत्काल सूचित किया जाएगा:

(क) पंजीकृत मानवरहित यान प्रणाली के स्वामित्व के अंतरण; अथवा

(ख) किसी पंजीकृत स्वामी का, किसी पंजीकृत मानवरहित यान प्रणाली का पर पूर्ण स्वामित्व समाप्त हो जाना;

(ग) मानवरहित यान प्रणाली का क्षतिग्रस्त होकर मरम्मत योग्य न रहना; अथवा

(घ) मानवरहित यान प्रणाली की हानि हो जाना।

(2) मानवरहित यान प्रणाली के नष्ट होने, स्थाई तौर पर सेवा से हटाए जाने, लापता होने तथा खोज न किए जा सकने अथवा स्वामी द्वारा मानवरहित यान प्रणाली का विधिक धारण एवं नियंत्रण भारत से बाहर किसी व्यक्ति को अंतरित किए जाने के प्रति संतुष्टि के पश्चात महानिदेशक द्वारा भारत में पंजीकृत मानवरहित यान की विशिष्ट पहचान संख्या का पंजीकरण किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

24. मौजूदा आयातित या निर्मित यूएस की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया - केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी निश्चित तारीख पर या उससे पहले, गैर-अनुपालक यूएस जिसे भारत में आयात किया गया हो, अथवा भारत में निर्मित किया गया हो, को अनुसूची V में निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया के अनुसार महानिदेशक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

25. भारत में आयातित या निर्मित यूएस की बिक्री - एक अधिकृत यूएस आयातक या निर्माता भारत में 'अधिकृत यूएस व्यापारी' या 'अधिकृत यूएस मालिक' को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को यूएस नहीं बेचेंगे।

26. भारत में यूएस को पट्टे पर देना - एक अधिकृत यूएस आयातक या निर्माता या व्यापारी भारत में अधिकृत 'यू ए एस ट्रेडर' या अधिकृत यूएस मालिक' अथवा 'अधिकृत यूएस ऑपरेटर' को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को यूएस पट्टे पर नहीं देगा।

भाग VI

यूएस का प्रचालन

27. सामान्य — (1) यूएस को केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मानचित्र में पहचाने गए अनुमेय क्षेत्रों में उड़ान भरने की अनुमति है।

(2) महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अनुपालक यूएस से इतर कोई आयातित या निर्मित यूएस भारत में संचालित नहीं किया जाएगा।

(3) यूएस केवल ऐसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसे जहां कहीं भी लागू हो, योग्य रिमोट पायलट की सहायता प्राप्त हो।

28. यूएस प्रचालक — भारत में एक अधिकृत यूएस प्रचालक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति यूएस का प्रचालन नहीं करेगा।

29. यूएस प्रचालक परमिट — (1) अनुसूची VI में निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया के अनुसार महानिदेशक द्वारा जारी परमिट में दी गई शर्तों के अनुसार, भारत में कोई भी व्यक्ति, नौनो क्लास को छोड़कर किसी यूएस का संचालन नहीं करेगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत दी गई अनुमति, जब तक कि निलंबित या रद्द नहीं की जाती है, पांच साल की अवधि के लिए वैध रहती है, और उसे एक बार में अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

(3) प्रचालक परमिट की वैधता के नवीकरण हेतु, कोई व्यक्ति अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

(4) केंद्र सरकार, किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार या उसकी एजेंसी को, भारत की सुरक्षा के हित में अथवा राष्ट्रीय हित में ऑपरेटर परमिट की आवश्यकताओं से छूट दे सकती है।

30. प्रत्येक उड़ान के लिए अनुमति - (1) मानव रहित विमान की कोई उड़ान तब तक नहीं होगी जब तक कि महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

(2) उड़ान के दौरान, ऑपरेटर या रिमोट पायलट अथवा रिमोटली पाइलेटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) ऑब्जर्वर यह सुनिश्चित करेगा कि मानवरहित विमान की उड़ान निर्धारित क्षेत्र के भीतर ही रहे, जिसके लिए अनुमति प्राप्त की गई थी।

(3) प्रत्येक उड़ान के बाद, प्रचालक, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उड़ान की यात्रा-दैनिकी (लॉग) को प्रस्तुत करेगा।

31. प्रशिक्षित रिमोट पायलट — (1) इन नियमों के तहत 'प्रशिक्षित रिमोट पायलट' के अलावा भारत में कोई भी व्यक्ति यूए के नैनो वर्ग को छोड़कर किसी अन्य यूएएस का संचालन नहीं करेगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत प्रशिक्षित रिमोट पायलट की अपेक्षाएँ अनुसूची VII में यथा निर्दिष्ट होंगी।

32. यूएएस पायलट लाइसेंस — (1) इन नियमों के तहत एक लाइसेंस प्राप्त रिमोट पायलट के अलावा कोई भी व्यक्ति भारत में यूए के नैनो और माइक्रो वर्गों से इतर, यूएएस का संचालन नहीं करेगा।

(2) यूएएस पायलट लाइसेंस जारी करने का अधिकार महानिदेशक के पास होगा और इस तरह का लाइसेंस अनुसूची VII में निर्दिष्ट रूप और प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) के तहत दिया गया लाइसेंस, जब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगा, और इसे एक समय में अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

(4) पायलट लाइसेंस के नवीकरण हेतु, व्यक्ति अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

33. प्रशिक्षण अपेक्षाएँ — (1) प्रशिक्षित रिमोट पायलट को अनुसूची VII में निर्दिष्ट अपेक्षित प्रशिक्षण से गुजरना होगा और इस तरह के प्रशिक्षण एक अधिकृत प्रशिक्षण संगठन या संस्थान द्वारा प्रदान किए जाएंगे जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में है।

(2) प्रशिक्षण संगठन या संस्थान को महानिदेशक द्वारा निर्दिष्टानुसार अधिकार-पत्र प्रदान किया जा सकता है।

(3) ऐसे प्रशिक्षण संगठन या संस्थान महानिदेशक द्वारा निरीक्षण और निगरानी के अधीन होंगे।

(4) जब तक निलंबित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता है, अधिकार-पत्र प्रत्येक मामले में पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन, निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य रहेगा, और नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर एक बार में अन्य पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

(5) प्राधिकरण की वैधता के नवीकरण हेतु, कोई व्यक्ति अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

34. अप्रचालनिक क्षेत्र - कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, अनुसूची VIII में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में किसी भी मानव रहित विमान को न तो उड़ाएगा और न ही उड़ाने में मदद करेगा।

35. उड़ान में यूए से फोटोग्राफी - (1) मानव रहित विमान द्वारा गैर-अनुमेय क्षेत्र को छोड़कर किसी व्यक्ति और उसकी संपत्ति की, गोपनीयता सुनिश्चित करने के बाद कोई तस्वीर ली जा सकती है।

(2) कोई भी व्यक्ति यूए से उड़ान में, अनुसूची VIII में निर्दिष्ट क्षेत्रों की तस्वीर नहीं लेगा अथवा तस्वीर लेने की अनुमति नहीं देगा और न ही उसका कारण बनेगा।

बशर्ते कि समय-समय पर महानिदेशक, लिखित रूप में यह आदेश दे सकते हैं कि आदेश में निर्दिष्ट किसी अन्य क्षेत्र की ऐसी तस्वीर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

36. पे लोड का वहन — महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए गए के अलावा कोई भी मानव रहित विमान किसी पे लोड का वहन नहीं करेगा।

37. हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों, सैन्य भंडारों आदि को ले जाने पर प्रतिबंध - (1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी मानव-रहित विमान में, भारत से या भारत में, भारत के भीतर या बाहर, किसी भी हथियार, गोला-बारूद, युद्ध उपकरण विस्फोटक और अन्य सैन्य भंडारों को ले जाने या चलाने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि केंद्र सरकार की लिखित अनुमति न हो तथा यह, ऐसी अनुमति के नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

(2) जहां केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को इस संबंध में यह विश्वास करने के कारण हैं कि इस नियम के प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है अथवा किया जाना है, तो वह माल की प्रकृति या मामले में कार्रवाई किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने तक इसकी विस्तृत जांच पड़ताल होने तक इस तरह के सामान को अपनी हिरासत में रख सकता है।

38. वस्तुओं को गिराना — किसी भी व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया से इतर किसी भी चीज को यूएएस से गति में गिराने या प्रक्षेपित करने की अनुमति नहीं है।

39. वायु के नियम - यूएएस के संचालन में लगा प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक द्वारा जारी किए गए नियमों का अनुपालन करेगा, जो उस व्यक्ति पर लागू हैं।

40. खतरनाक उड़ान - (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या संपत्ति या विमान से निकटता के कारण, या किसी अन्य कारण से ऐसी परिस्थितियों में किसी भी यूएएस को नहीं उड़ाएगा जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति या विमान के लिए अनावश्यक खतरा उत्पन्न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी यूएएस को खराब शारीरिक या मानसिक स्थिति में या नशीले पदार्थों और मनो क्रियाशील पदार्थों के प्रभाव में संचालित नहीं करेगा जो यूएएस के सुरक्षित संचालन में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

41. सामान्य सुरक्षा — कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे -

(क) यूएएस या यूएएस ऑपरेशन की संरक्षा और सुरक्षा खतरे में हो;

(ख) यूएएस के सुरक्षित और संरक्षित संचालन के लिए स्थापित किसी भी सुविधा के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप का कारण बनता है; या

(ग) यूएएस के सुरक्षित और संरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सौंपे गए कार्य बाधित या विचलित होते हैं :

बशर्ते कि यूएएस ऑपरेशन के माध्यम से किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अथवा नियम 50 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई से इस नियम का उल्लंघन नहीं होगा।

भाग VII

ड्रोन पोर्ट

42. सामान्य — ड्रोन पोर्ट और ड्रोन कॉरिडोर अनुमति प्राप्त क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं, यदि यूएएस प्रचालन की प्रकृति और अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी आवश्यकता हो।

43. ड्रोन पोर्ट की लाइसेंसिंग/ अधिकार-पत्र — मानव रहित विमान के आगमन, प्रस्थान, सरफेस मूवमेंट और संबद्ध रखरखाव या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किसी ड्रोन पोर्ट का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक:

(क) इसे इस उद्देश्य के लिए लाइसेंस न दिया गया हो, और यह इस तरह के लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुसार है; अथवा

(ख) मानव रहित विमान के अस्थायी संचालन को प्रभावी करने के उद्देश्य से इसे ऐसी शर्तों के अधीन महानिदेशक द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसी वे उचित समझें।

44. ड्रोन पोर्ट लाइसेंस के लिए पात्रता की शर्तें - निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर व्यक्ति को ड्रोन पोर्ट के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस दिया जा सकता है-

(i) किसी व्यक्ति को, जो —

(क) भारत का नागरिक है, और

(ख) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है; या

(ii) एक कंपनी या एक निकाय कॉर्पोरेट बशर्ते कि-

(क) यह पंजीकृत है और इसके व्यापार का प्रमुख स्थान भारत में है, और

(ख) यह केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट इक्विटी होल्डिंग मानदंडों को पूरा करता है; या

(iii) एक फर्म या व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय या एक स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी संस्था का एक संघ, चाहे निगमित हो या न हो, केंद्र और राज्य सरकार या एक एजेंसी:

वशर्ते कि इस नियम के खंड (ii) और (iii) के लिए, केंद्र सरकार किसी अन्य शर्त को निर्दिष्ट कर सकती है।

45. ड्रोन पोर्ट के लिए प्राधिकार अथवा लाइसेंस देना — (1) ड्रोन पोर्ट हेतु प्राधिकार अथवा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियम 44 के अधीन दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट की गई विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

(2) नियम 44 में निहित अपेक्षाओं के प्रति संतुष्ट होने पर, महानिदेशक, आवेदनकर्ता को प्राधिकार अथवा लाइसेंस जैसा भी मामला हो, प्रदान कर सकते हैं।

(3) यदि आवश्यक समझा जाए तो, महानिदेशक, आवेदनकर्ता की सुरक्षा की दृष्टि से कारपोरेट निकायों के मामलों में निदेशकों अथवा शीर्ष प्रबंधन पदों पर आसीन अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए संबंधित प्राधिकारी से क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हैं:

परन्तु यह भी कि केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा इनकी किसी एजेंसी के लिए इस प्रकार की किसी भी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है।

(4) मानवरहित यान प्रणाली के अस्थायी परिचालन के लिए ऐसी किसी भी समयावधि जो तीन महीने से अधिक न हो, के लिए एक ड्रोन पोर्ट का प्राधिकार प्रदान किया जा सकता है।

(5) उप-नियम (2) के अधीन प्रदान किया गया लाइसेंस, जब तक कि निलंबित अथवा रद्द न हो, पाँच वर्ष के लिए वैध रहेगा तथा एक बार में अधिकतम पाँच वर्ष के लिए पुनः नवीकृत किया जा सकता है।

(6) ड्रोन पोर्ट लाइसेंस की वैधता के नवीकरण हेतु, कोई व्यक्ति अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

भाग VIII

मानवरहित यानप्रणाली परिवहन प्रबंधन (यूटीएम)

46. सामान्य —मानवरहित यान प्रणाली परिचालन की प्रकृति एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार भारतीय विमान क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग में मानवरहित यान परिवहन प्रबंधन प्रणाली को स्थापित कर सकती है।

47. (1) मानवरहित यान प्रणाली परिवहन प्रबंधन (यूटीएम) —महानिदेशक, अनुसूची X में विनिर्दिष्ट की गई विधि और प्रक्रिया के अनुसार मानवरहित यान प्रणाली परिवहन प्रबंधन (यूटीएम) सेवा के प्रावधान के लिए किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं।

(2) जबतक कि लाइसेंस, को निलंबित, खंडित या रद्द न किया जाए, यह उस में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पांच वर्ष की अधिकतम सीमा के अधः वैध रहेगा, और नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के समय अन्य पांच वर्षों के लिए नवीकरण किया जा सकेगा।

(3) यूटीएम सेवा प्रदाता लाइसेंस की वैधता के नवीकरण हेतु, कोई व्यक्ति अनुसूची X में विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

48. (1) यूटीएम कार्मिक के लिए लाइसेंस की आवश्यकता— कोई भी व्यक्ति भारतीय विमानक्षेत्र अथवा भारतीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर किसी भी विमान क्षेत्र में, जिसके लिए भारत ने, किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के क्रम में, यूटीएम सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की हो, यूटीएम सेवाएं प्रदान करने में स्वयं को, तब तक शामिल नहीं करेगा जब तक कि उसके पास अनुसूची X में विनिर्दिष्ट की गई विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार एक वैध यूटीएम कार्मिक लाइसेंस न हो।

(2) जबतक कि लाइसेंस, को निलंबित, खंडित या रद्द न किया जाए, यह उस में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पांच वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वैध रहेगा, और नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के समय अन्य पांच वर्षों के लिए नवीकरण किया जा सकेगा।

(3) यूटीएम सेवा प्रदाता लाइसेंस की वैधता के नवीकरण हेतु, कोई व्यक्ति अनुसूची X में विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

49. प्रशिक्षण अपेक्षाएं — (1) यूटीएम कार्मिक अनुसूची X में निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और यह प्रशिक्षण अनुसूची X में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण संगठन का प्राधिकरण, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगा।

(3) इस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान महानिदेशक के निरीक्षण एवं निगरानी के अधीन होंगे।

(4) जब तक कि निलंबित, प्रतिसंहरण अथवा रद्द न हो, प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में अधिकतम पाँच वर्ष की समयावधि के अधीन, उसमें निर्दिष्ट समयावधि के लिए वैध रहेगा और नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर अगले पाँच वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(5) प्रशिक्षण संगठन के प्राधिकार की वैधता के नवीकरण हेतु, कोई व्यक्ति अनुसूची X में विनिर्दिष्ट रूप में और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है।

भाग IX

सामान्य

50. नियमों के उल्लंघन में उद्धानों पर प्रतिबंध— (1) मानवरहित यान प्रणाली पर रोक लगाने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 के खंड 8 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा, पायलट अथवा रोक लगाये जाने वाले मानवरहित यान प्रणाली के तत्कालीन नियत समय के प्रभारी अन्य व्यक्तियों को लिखित निर्देश जारी करके अथवा ऐसे कदमों को उठाते हुए अथवा उठाए जाने के लिए जोकि प्राधिकरण के मत में, रोक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, जिसमें बल का प्रयोग, किसी व्यक्ति द्वारा मानवरहित यान प्रणाली तक पहुँच से मनाही, मानवरहित यान प्रणाली के भागों एवं उपकरणों को हटाने अथवा अन्यथा मानवरहित यान प्रणाली के साथ छेड़छाड़ भी शामिल है, के द्वारा रोक लगाई जा सकती है।

(2) सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी मानवरहित यान प्रणाली को प्रतिबंधित करने तथा ऐसे कदम उठाने में जो कि प्राधिकरण के मत में प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों, मानवरहित यान प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस प्रकार के प्राधिकरण की सहायता करेंगे।

(3) इस नियम के अधीन दिए गए किसी भी निर्देश के उल्लंघन में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में, उस पर लगने वाले किसी भी अन्य दंड की पूर्वधारणा के बिना, यह माना जाएगा कि उसने इन नियमों के उल्लंघन में कार्य किया है।

51. शुल्क — (1) इन नियमों के अंतर्गत, प्राधिकरण, प्रमाणन, विशिष्ट पहचान संख्या, लाइसेंस अथवा परमिट के लिए शुल्क, अनुसूची XI में दिए गए निर्देशों के अनुसार देय होंगे।

(2) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा निर्धारित रूप में और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

52. मानवरहित यान प्रणाली का बीमा — (1) भारत में कोई भी मानवरहित यान तब तक परिचालित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास इस मानवरहित यान के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर और इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसको शारीरिक घाव अथवा संपत्ति को कोई नुकसान हुआ हो, की स्थिति के संबंध में इस प्रकार की देयता को समाविष्ट करने वाली वैध तृतीय पक्ष बीमा पालिसी मौजूद न हो।

(2) ऐसे मामले में देय मुआवजे का आकलन उस रूप में और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन निर्धारित नियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

53. मॉडल आरपीएस के लिए लागू नियम —(1) नियमों के भाग III, IV, V (नियम 22 एवं 23 को छोड़कर), VI (नियम 34 एवं 41 को छोड़कर), VII, VIII, IX (नियम 50, 55, 59 से 62 तथा 64 को छोड़कर), मॉडल आर पी एस पर लागू नहीं होंगे।

(2) कोई भी मॉडल आरपीएस केवल महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए, परिभाषित क्षेत्रों तथा उनकी शर्तों के अनुसार ही परिचालित हो सकता है।

54. स्वायत्त मानवरहित यान प्रणाली पर लागू नियम — (1) स्वायत्त मानवरहित यान प्रणाली पर नियम 27 का उप-नियम (3) तथा नियम 31 एवं 32 लागू नहीं होंगे।

(2) महानिदेशक स्वायत्त मानवरहित यान प्रणाली के लिए, शर्तों एवं इस प्रकार के मानवरहित यान प्रणाली के परिचालन में शामिल कार्मिक की अन्य योग्यताओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(3) कोई भी स्वायत्त मानवरहित यान प्रणाली केवल महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट परिभाषित क्षेत्रों तथा उनकी शर्तों के क्रम में ही परिचालन कर सकती है।

55. अभिसमय और उपाबंधों का अंगीकरण- महानिदेशक, अभिसमय और उसके किसी उपाबंध को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकते हैं जो वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल न हों।

56. महानिदेशक द्वारा निर्देश — (1) महानिदेशक, नागर विमानन अपेक्षाओं अथवा परिपत्रों के प्रकाशन के माध्यम से, वायुयान अधिनियम, 1934 अथवा इन नियमों के सुसंगत, आयात, निर्यात, उत्पादन, बिक्री, उपयोग, परिचालन, धारण, रखरखाव अथवा भारत में व इसके ऊपर उड़ान भर रहे मानवरहित यानों के दिक्कालन अथवा भारत में पंजीकृत मानवरहित यान प्रणाली के लिए विशेष निर्देश जारी कर सकते हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नागर विमानन अपेक्षाओं को, नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर, इसके ड्राफ्ट को संभावित रूप से इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए, एक माह तक रखने के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा:

परन्तु महानिदेशक, जनहित में और लिखित रूप में आदेश जारी कर, इस तरह की आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने और ऐसी आपत्तियों और सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए अवधि को कम करने की अभिमुक्ति दे सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) में जारी प्रत्येक निर्देश का ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके लिए इसे जारी किया गया है, पालन किया जाएगा।

(4) महानिदेशक, लिखित में सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा, इस नियम के अंतर्गत किसी मानवरहित यान प्रणाली अथवा मानवरहित यान प्रणाली के वर्ग अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति वर्ग को 'नागर विमानन अपेक्षाएं' नामक प्रकाशन में दिए गए ऐसे निर्देशों के प्रचालन से, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो तो, या तो पूर्णरूप से अथवा आंशिक तौर पर छूट प्रदान कर सकते हैं।

57. छूट की सामान्य शक्ति —केंद्र सरकार, लिखित में, सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी मानवरहित यान प्रणाली अथवा मानवरहित यान प्रणाली के किसी वर्ग को अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग को इन नियमों के प्रचालन में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से, आदेश में इस प्रकार से निर्धारित ऐसी शर्तों, यदि कोई हो तो, के अधीन जैसा की आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो, छूट प्रदान कर सकती है।

58. लाइसेंस, प्रमाणपत्र, प्राधिकरण, परमिट एवं अनुमोदन का रद्दीकरण अथवा निलंबन—जहाँ पर महानिदेशक अथवा केंद्र सरकार द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात, इस हेतु संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों के प्रावधानों अथवा नियम 55 के अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है अथवा वह इनका अनुपालन करने में असफल रहा है तो, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन नियमों के अधीन जारी उसके किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, प्राधिकरण, परमिट अथवा अनुमोदन को रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है।

59. निरीक्षण — (1) महानिदेशक अथवा उनके द्वारा लिखित रूप में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया नागर विमानन महानिदेशालय का कोई अधिकारी, इन नियमों अथवा वायुयान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकरण प्रमाणपत्र अथवा लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से, मानवरहित यान प्रणाली, मानवरहित यान प्रणाली विनिर्माण, भंडारण, रखरखाव सुविधा, यूटीएम सुविधा अथवा संबंधित किसी अन्य सुविधा का निरीक्षण कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारीगण इन नियमों का सतत पालन सुनिश्चित करने के लिए इन सुविधाओं के अधोषित निरीक्षणों सहित निगरानी भी कर सकते हैं।

(3) महानिदेशक किसी व्यक्ति को, महानिदेशक द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें महानिदेशक विनिर्दिष्ट करें, किसी व्यक्ति अथवा मानवरहित यान प्रणाली की जाँच और परीक्षण के लिए अथवा उप-नियम (1) के उद्देश्य के लिए किसी दस्तावेज अथवा सुविधा के निरीक्षण के लिए, प्राधिकृत कर सकते हैं तथा ये प्राधिकरण, इस प्रकार महानिदेशक की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के कार्यों को निर्दिष्ट करेगा और यह प्राधिकरण उसमें वर्णित समयावधि के लिए होगा।

(4) उप-नियम (1) तथा (3) के अंतर्गत इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्यय पत्र जारी किए जाएंगे और वे प्राधिकरण में उन्हें दिए गए कार्यों का निष्पादन करेंगे।

(5) उप-नियम (1) तथा उप-नियम (3) में संदर्भित महानिदेशक अथवा व्यक्तियों को—

(क) मानवरहित यान प्रणाली तथा संबंधित सुविधाओं, जो भी लागू हों, के लिए इन नियमों के अंतर्गत अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए अप्रतिबंधित तथा असीमित पहुँच होगी;

(ख) वे किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं तथा किसी मानवरहित यान प्रणाली अथवा यूटीएम सेवाओं सहित किसी संबंधित सुविधा का निरीक्षण और खोजबीन कर सकते हैं, किसी कार्मिक के साथ बातचीत कर सकते हैं तथा इन नियमों एवं वायुयान अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं।

(6) मानवरहित यान प्रणाली का आयातक, विनिर्माता, व्यापारी, स्वामी अथवा परिचालक, अथवा प्रशिक्षण संस्थान अथवा यूटीएम सुविधा द्वारा, महानिदेशक अथवा उप-नियमों (1) एवं (3) में संदर्भित किसी व्यक्ति को मानवरहित यान प्रणाली के किसी भाग, संगठन अथवा उपकरण, अभिलेखों, दस्तावेजों और कार्मिक सहित विमान दिक्चालन सुविधा तक पहुँच की अनुमति दी जाएगी तथा नियम (1) एवं (3) में संदर्भित गतिविधियों के संचालन में वह सहयोग करेगा।

60. दंड — (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने इनमें से किसी भी नियम का अथवा नियम 55 के अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया हो अथवा इनका अनुपालन करने में असफल रहा हो, जहाँ वायुयान अधिनियम, 1934 में इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी दण्ड का प्रावधान न किया गया हो वह इन नियमों की अनुसूची XII में निर्धारित सीमा तक दंडनीय होगा।

(2) यदि उल्लंघन अथवा विफलता, दुर्घटना, मौसम के दबाव अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से हुई है तो यह इन नियमों का पालन करने में विफलता या उल्लंघन की किसी भी कार्यवाही का बचाव होगा; और यह मानवरहित यान प्रणाली के मालिक, अवक्रेता, परिचालक, रिमोट पायलट के खिलाफ इन नियमों के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए इस तरह से बचाव होगा कि कथित उल्लंघन उसकी वास्तविक गलती या जानकारी के बिना हुआ था।

61. जाली दस्तावेज — कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत जारी किए गए किसी भी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, प्राधिकरण, परमिट या अनुमोदन को धोखाधड़ी से दूसरे व्यक्ति को उधार नहीं देगा अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा इस का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

62. प्राधिकृत व्यक्तियों पर रोक — कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे अथवा अपनी शक्तियों के अभ्यास में कार्य कर रहे व्यक्ति को स्वेच्छा से नहीं रोकेगा।

63. अपराधों का वर्गीकरण (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी चीज के होते हुए भी, नियम 12 के उप-नियम (1), 13, 17, 20, 21, 27, 28, 29, नियम 30 के उप-नियम (1) एवं (2), नियम 31 के उप-नियम

(1), नियम 32 के उप-नियम (1), 34, 35, 36, 37, 38, 40, 52, नियम 58 के उप-नियम (6), 60 एवं 61 का उल्लंघन संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का, कोई भी न्यायालय, महानिदेशक की बिना पूर्व लिखित मंजूरी के संज्ञान नहीं लेगा।

64. शक्तियों का प्रत्यायोजन — (1) इन नियमों के द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त अथवा अधिरोपित शक्ति अथवा कर्तव्य का प्रयोग अथवा निर्वहन केंद्र सरकार अथवा उसकी ओर से इस कार्य के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा;

(2) इन नियमों के द्वारा महानिदेशक को प्रदत्त अथवा उन पर अधिरोपित शक्ति अथवा कर्तव्य का प्रयोग अथवा निर्वहन महानिदेशक अथवा इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

65. अपील— (1) यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी द्वारा इन नियमों या नियम 63 के तहत उसे प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जारी किए गए आदेश से व्यथित होता है तो, वह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर इस शर्त के अधीन कि किसी भी एक मामले में दो से अधिक अपीलें नहीं की जा सकती, अगले उच्च अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

नोट — महानिदेशक द्वारा आदेश जारी किये जाने की स्थिति में, यह अपील नागर विमानन मामलों से संबंधित मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव को की जाएगी और इस स्थिति में आगे कोई और अपील नहीं होगी भले ही यह पहली अपील हो अथवा दूसरी।

अनुसूची- I (नियम 6)

आयातक, निर्माता, व्यापारी, स्वामी अथवा प्रचालक का प्राधिकार

प्राप्त करने से संबंधित अपेक्षाएं

1. आयातक, निर्माता, व्यापारी, स्वामी अथवा प्रचालक का प्राधिकार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से फार्म यूए-1 में अपना आवेदन महानिदेशक के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए।
2. आवेदक को अपने आवेदन के साथ नीचे उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(1) वैयक्तिक के लिए -

- i. आवेदक का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ;
- ii. पहचान तथा आयु प्रमाण - पासपोर्ट अथवा आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस की स्वयं सत्यापित प्रति;
- iii. आवास प्रमाण - पासपोर्ट अथवा आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा बिजली बिल अथवा पानी बिल अथवा लैंडलाइन फोन नम्बर बिल अथवा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक की स्वयं सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक का वर्तमान पता दर्शाया गया हो तथा आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो।

(ख) कम्पनी अथवा कारपोरेट निकाय के लिए -

- i. निगमन का प्रमाण- कम्पनी के निगमन प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति;
- ii. निदेशक पहचान संख्या (DIN) — निदेशक पहचान संख्या के साथ निदेशकों के नाम;
- iii. पंजीकृत पते का प्रमाण ;
- iv. व्यवसाय पते का प्रमाण।

(ग) स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा उसकी कोई एजेंसी,-

(i) विभाग प्रमुख का प्रमाण पत्र जिसमें संगठन, इसके पते तथा मानवरहित यान प्रणाली (UAN) की अधिप्राप्ति की मंशा का उल्लेख किया जाना है;

(ii) प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम, पदनाम तथा पता।

(घ) किसी अन्य व्यक्ति के लिए,—

(i) पंजीकरण / निगमन का प्रमाण ;

(ii) प्रबंधन कार्मिक का नाम, पदनाम तथा पता;

(iii) पंजीकृत / व्यवसाय पते का प्रमाण

3. आवेदक को नम्बर सहित जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति, यदि लागू है, उपलब्ध करवानी चाहिए।

4. आवेदक द्वारा अनुसूची XI में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाना है।

5. संतुष्ट होने की स्थिति में महानिदेशक द्वारा अपेक्षित प्राधिकार जारी किया जा सकेगा।

6. नियम 9 के अंतर्गत नए प्राधिकार पत्र या नियम 10 के अंतर्गत नवीकरण के अनुरोध की स्थिति में, आवेदक वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से फॉर्म यूए-1 में महानिदेशक को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। इसका शुल्क अनुसूची XI में निर्धारित शुल्क के समान होगा। प्रत्यय-पत्रों में परिवर्तन आवेदन फॉर्म में प्रस्तुत किया जाएगा और घोषणा खंड में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

7. महानिदेशक, अपनी संतुष्टि होने पर, नया प्राधिकार-पत्र जारी कर सकता है या प्राधिकार-पत्र संख्या की वैधता का नवीकरण कर सकता है।

फार्म यूए 1	
आयातक, निर्माता, व्यापारी, स्वामी अथवा प्रचालक द्वारा प्राधिकार संख्या प्राप्त करने अथवा नवीकरण के लिए आवेदन पत्र	पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं (केवल वैयक्तिक के मामले में)
	हस्ताक्षर
उचित वर्ग का चयन करें	
1. निर्माता	<input type="checkbox"/>
2. आयातक	<input type="checkbox"/>
3. व्यापारी	<input type="checkbox"/>
4. स्वामी	<input type="checkbox"/>
5. प्रचालक	<input type="checkbox"/>

भाग क वैयक्तिक के लिए		
1. नाम		
2. लिंग		
3. राष्ट्रियता		
4. जन्म तिथि		
5. ईमेल		
6. फोन नम्बर		
7. पहचान प्रमाण के दस्तावेज कोई एक प्रस्तुत करें	पासपोर्ट नम्बर	
	आधार कार्ड नम्बर	
	पैन कार्ड नम्बर	
	मतदाता पहचान कार्ड नम्बर	
	ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर	
8. पते के प्रमाण के दस्तावेज कोई एक प्रस्तुत करें	पासपोर्ट नम्बर	
	आधार कार्ड नम्बर	
	मतदाता पहचान कार्ड नम्बर	
	बिजली बिल/पानी बिल/ बैंक खाता विवरण जिसमें पता दर्शाया गया हो	
9. जीएसटी नम्बर		
भाग ख कम्पनी अथवा कारपोरेट निकाय के लिए		
10. कम्पनी का नाम		
11. व्यवसाय/वर्तमान पता		
12. पंजीकृत पता		
13. ईमेल		
14. फोन नम्बर		

15. निगमन का प्रमाण - कम्पनी के निगमन का प्रमाण पत्र		
16. डीआईएन संख्या सहित निदेशकों के नाम		
17. जीएसटी नम्बर यदि उपलब्ध है		
18. गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार से सुरक्षा क्लीयरेंस (मानवरहित यान प्रणाली के आयातकों/व्यापारियों / निर्माताओं के मामले में जिनका व्यवसाय का मूल पता भारत के अलावा किसी अन्य देश में है)		
भाग ग – स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा उनकी कोई एजेंसी के लिए		
19. संगठन का नाम		
20. व्यवसाय / वर्तमान पता		
21. पंजीकृत पता		
22. ईमेल		
23. फोन नम्बर		
24. विभाग प्रमुख का प्रमाण पत्र जिसमें संगठन, इसके पते तथा मानवरहित यान प्रणाली (UAN) की अधिप्राप्ति की मंशा का उल्लेख किया जाना है		
25. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	क.	
	ख.	
	ग.	
	घ.	
	ड.	
26. जीएसटी नम्बर, यदि उपलब्ध है		
भाग घ अन्य किसी व्यक्ति के लिए		
27. संगठन का नाम		
28. व्यवसाय / वर्तमान पता		

29. पंजीकृत पता			
30. ईमेल			
31. फोन नम्बर			
32. पंजीकरण/ निगमन का प्रमाण 1. पंजीकरण/निगमन का प्रमाण पत्र			
33. प्रबंधन समिति के नाम , पदनाम, पता तथा फोन नम्बर	1		
	2		
	3		
	4		
34. जीएसटी नम्बर, यदि उपलब्ध है			
35. पुराना प्राधिकार संख्या (नए प्राधिकार अनुरोध के मामले में)			
शुल्क			
वर्ग	वर्ग का चयन	शुल्क राशि	संव्यवहार विवरण
निर्माता			
आयातक			
व्यापारी			
स्वामी			
प्रचालक			

घोषणा

- 1) मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- 2) नए प्राधिकार के लिए, प्रत्यय-पत्रों में परिवर्तन को क्रमांकों में इंगित में किया गया है (सूची प्रदान करें) — [यदि लागू न हो तो काट दें]

नाम तथा हस्ताक्षर

तिथि:

स्थान :

अनुसूची II (नियम 11, 12 तथा 15)

खंड क

निर्माण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से संबंधित अपेक्षाएं

1. प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के निर्माण का प्राधिकार प्राप्त करने के इच्छुक आयातक अथवा निर्माता को वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से फार्म यूए-2 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. निर्माण के प्राधिकार की प्राप्ति के लिए मानवरहित यान प्रणाली (UAN) निम्नलिखित के साथ सुसज्जित होनी चाहिए —
 - (i) समस्तरीय अथवा लम्बातमक पोजिशन फिक्सिंग के लिए वैश्विक दिक्कचालन सेटेलाइट प्रणाली (GNSS) रिसीवर;
 - (ii) स्वचालित उड़ान समापन प्रणाली अथवा रिटर्न टू होम (RTH) विकल्प;
 - (iii) जियो-फेंसिंग की क्षमता;
 - (iv) फ्लैशिंग एंटी-कॉलिजन स्ट्रोब लाइट्स;
 - (v) फ्लाइट कंट्रोलर;
 - (vi) फ्लाइट डेटा लॉगिंग क्षमता;
 - (vii) 'नो पर्मिशन – नो टेकऑफ (NPNT)' की अनुकूलता;
 - (viii) एसएसआर ट्रांसपोंडर ('सी' अथवा 'एस' प्रणाली) अथवा एडीएस-बी आउट उपकरण (यदि 400 फुट/120 मीटर एजीएल से आगे प्रचालन करना हो);
 - (ix) विश्वसनीय कमांड एवं कंट्रोल लिंक;
 - (x) रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम;
 - (xi) रिमोट सब-स्केल सैटिंग की क्षमता से युक्त बॉरोमैट्रिक उपकरण;
 - (xii) पता लगाने तथा बचाव करने की क्षमता;
 - (xiii) निर्माता क्रम संख्या ;
 - (xiv) मानवरहित यान प्रणाली पर एंग्रेविंग के लिए अग्नि प्रभाव मुक्त पहचान प्लेट; तथा
 - (xv) दो-मार्गीय संचार व्यवस्था।
3. एनपीएनटी हार्डवेयर तथा फर्मवेयर विकार (tamper) मुक्त होने चाहिए।
4. खंड (iv), (vi), (vii), (viii), (x), (xi) तथा (xii) में निर्दिष्ट उपकरण नैनो श्रेणी के मानवरहित यान के संबंध में अनिवार्य नहीं हैं।
5. लघु एवं ऊपरी वर्ग का प्रत्येक मानवरहित यान आपात रिकवरी व्यवस्था से सुसज्जित होना चाहिए जिससे इसके खराब होने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षति अथवा व्यक्ति को चोट न होने का सुनिश्चित हो सके।
6. निर्माता के प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए वायरलैस योजना एवं समन्वय (WPC) विंग, संचार मंत्रालय से लाइसेंस मुक्त फ्रिक्वेंसी बैंड (बैंडों) में प्रचालन के लिए उपकरण टाइप अनुमोदन (ETA) प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
7. उपर्युक्त के अलावा, प्रत्येक मानवरहित यान से संबंधित निर्माण प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।
8. आवेदक द्वारा अनुसूची XI में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाना है।
9. संतुष्ट होने की स्थिति में महानिदेशक द्वारा निर्माण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

फार्म यूए -2		
निर्माण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन		
1.	प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के आयातक/निर्माता का नाम:	
2.	ना.वि.महानिदेशालय द्वारा जारी विशिष्ट पहचान संख्या :	
3.	वर्तमान पता	
4.	ईमेल पता	
5.	फोन नम्बर	
6.	अधिमानित परीक्षण प्रयोगशाला या संगठन: (i) (ii) (iii)	
7.	मानवरहित यान प्रणाली का विवरण: क) वर्ग: ख) वर्गीकरण: ग) मॉडल का नाम/संख्या: घ) फिक्स्ड विंग/रोटरी विंग: ङ) अधिकतम समग्र भार: च) इंजन / मोटर: i) टाइप: ii) पावर रेटिंग; तथा iii) इंजन/मोटरों की संख्या छ) कुल ईंधन क्षमता (कि.ग्रा.)/बैटरी क्षमता (एमएएच): ज) संगत पेलोड : (i) फिक्स्ड अथवा परिवर्ती अथवा दोनों (ii) पेलोड का अधिकतम भार (कि.ग्रा.) (iii) क्यूबिक सेंटीमीटर में परिमाण झ) लॉच तथा रिकवरी टाइप (यथा लागू): ञ) समग्र आयाम(l x b x h) (3-आयामी ड्राइंग संलग्न करें):	
8.	डब्ल्यूपीसी विंग से प्राप्त ईटीए की प्रति (अपलोड की जानी है):	
9.	आपात रिकवरी सिस्टम के प्रतिस्थापन का विवरण :	

10. उपकरण का विवरण (उचित प्रबॉक्स में ✓ चिन्हित करें):

<input type="checkbox"/> जीएनएसएस	<input type="checkbox"/> आरटीएच
<input type="checkbox"/> जियो-फैंस	<input type="checkbox"/> एन्टी-कॉलिजन लाइट
<input type="checkbox"/> फ्लाइट कंट्रोलर	<input type="checkbox"/> फ्लाइट डेटा लॉगिंग क्षमता
<input type="checkbox"/> एनपीएनटी	<input type="checkbox"/> एसएसआर ट्रांसपोंडर /एडीएस-बी आउट
<input type="checkbox"/> कमांड तथा कंट्रोल लिंक	<input type="checkbox"/> रियल टाइम ट्रैकिंग व्यवस्था
<input type="checkbox"/> बारोमैट्रिक उपकरण	<input type="checkbox"/> पता लगाने तथा बचाव करने की क्षमता
<input type="checkbox"/> निर्माता क्रम संख्या	<input type="checkbox"/> अग्नि प्रभाव मुक्त पहचान प्लेट
<input type="checkbox"/> दो-मार्गीय संचार व्यवस्था	

(GNSS -वैश्विक दिक्कचालन सेटेलाइट प्रणाली ; NPNT – नो पर्मिशन , नो टेकऑफ; RTH- रिटर्न टू होम)

11. शुल्क राशि तथा संव्यवहार संख्या :

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तिथि :

स्थान :

खंड ख

आयात क्लीयरेंस के लिए अपेक्षाएं

- आयात की क्लीयरेंस प्राप्त करने के इच्छुक मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के प्राधिकृत आयातक को वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से फार्म यूए-3 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- संतुष्ट होने की स्थिति में महानिदेशक द्वारा आयात क्लीयरेंस जारी की जा सकेगी।

फार्म यूए -3			
मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के आयात की क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र			
1.	प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) आयातक का नाम		
2.	विशिष्ट पहचान संख्या		
3.	कम्पनी के मामले में निदेशकों के नाम लिखें	1.	
		2.	
		3.	

		4.	
		5.	
4.	अन्य व्यक्तियों के मामले में उच्च प्रबंधन के नाम लिखें	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
5.	सम्पर्क विवरण पता ईमेल पता फोन नम्बर	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
6.	राष्ट्रीयता:		
7.	वर्ग		
8.	मानवरहित यान प्रणाली की मात्रा		
9.	अधिप्राप्ति की विधि (स्वामित्व / पट्टा)		
10.	आयात/अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावित मानवरहित यान प्रणाली का विवरण		
11.	निर्माता का नाम तथा पता राष्ट्रीयता		
12.	मॉडल संख्या		
13.	क्रम संख्या		
14.	तिथि एवं निर्माण का वर्ष		
15.	फिक्स्ड विंग / रोटरी विंग		
16.	नया / प्रयुक्त		

17.	अधिकतम समग्र भार		
18.	अधिकतम प्राप्य ऊंचाई		
19.	पेलोड विवरण		
20.	आयात की विधि (पट्टा/ एकमुश्त क्रय):		
21.	स्वामी का नाम तथा पता		
22.	पट्टाकार का नाम तथा पता		
23.	मानवरहित यान प्रणाली के आयात का उद्देश्य		
24.	सुरक्षा क्लीयरेंस, यदि लागू हैं		

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तिथि :

स्थान :

अनुसूची III (नियम 19)

मानवरहित यान के पंजीकरण की प्रक्रिया

1. मानवरहित यान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करने के इच्छुक प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली (UAS) आयातक अथवा निर्माता को वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से फार्म यूए-4 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
2. जारी किए जाने वाले विशिष्ट पहचान संख्या प्रमाण पत्र में विशिष्ट पहचान संख्या, मानवरहित यान का वर्ग, मॉडल संख्या, क्रम संख्या सहित निर्माता का नाम, निर्माण का वर्ष, पंजीकरण की तिथि का उल्लेख होगा।
3. आवेदक द्वारा अनुसूची XI में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
4. संतुष्ट होने की स्थिति में महानिदेशक द्वारा आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) जारी की जा सकेगी।

फार्म यूए - 4		
विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र		
1.	मानवरहित यान प्रणाली के प्राधिकृत आयातक/ निर्माता का नाम	
2.	विशिष्ट पहचान संख्या	
3.	सम्पर्क विवरण पता ईमेल पता फोन नम्बर	
4.	आयात लाइसेंस/ अनुमति की प्रति (यदि आयातक हैं)	
5.	निर्माण प्रमाण पत्र की प्रति	
6.	मॉडल संख्या	
7.	तिथि तथा निर्माण वर्ष	
8.	मानवरहित यान प्रणाली की संख्या	
9.	निर्माण क्रम संख्या (संख्याएं)	
10.	संव्यवहार संख्या सहित शुल्क की राशि	

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तिथि :

स्थान :

अनुसूची-IV (नियम 22 तथा 23)**मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के अंतरण अथवा स्वामित्व परिवर्तन के लिए अपेक्षाएं**

- मानवरहित यान का अंतरण किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को करने के इच्छुक प्राधिकृत व्यक्ति अथवा महानिदेशक को स्वामित्व के परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजीटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से फार्म यूए-4 में महानिदेशक के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक द्वारा अनुसूची XI में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- संतुष्ट होने की स्थिति में महानिदेशक द्वारा मानवरहित यान प्रणाली (UAS) का अंतरण अनुमोदित किया जा सकेगा तथा मानवरहित यान प्रणाली के स्वामित्व में हुए परिवर्तन को रिकार्डबद्ध किया जाएगा।
- मानवरहित यान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या से सम्बद्ध अंतरणकर्ता का यूएएन की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी मानवरहित यान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या अंतरिती के यूएएन से सम्बद्ध की जाएगी।
- मानवरहित यान प्रणाली के नष्ट होने अथवा क्षति होने की सूचना प्राप्त होने के मामले में महानिदेशक द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात विशिष्ट पहचान संख्या रद्द की जा सकेगी तथा रद्द की गई विशिष्ट पहचान संख्या का रिकार्ड रखा जाएगा।
- मानवरहित यान प्रणाली के अंतरण अथवा रिकार्ड में ली गई सूचना अथवा विशिष्ट पहचान संख्या को रद्द करने के संबंध में आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को संव्यवहार संख्या जारी की जाएगी।

फार्म यूए - 5	
मानवरहित यान प्रणाली (UAS) के अंतरण अथवा स्वामित्व में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र	
भाग क : अंतरणकर्ता का विवरण	
1. वैयक्तिक के मामले में	
1. नाम	
2. वर्तमान पता	
3. राष्ट्रीयता	
4. जन्म तिथि	
5. ईमेल	
6. फोन नम्बर	
7. विशिष्ट प्राधिकार संख्या (UAN)	
8. जीएसटी संख्या	
2. कम्पनी अथवा कारपोरेट के मामले में	
9. कम्पनी का नाम	
10. व्यवसाय / वर्तमान पता	
11. पंजीकृत पता	
12. ईमेल	

13. फोन नम्बर	
14. निगमन का प्रमाण- कम्पनी के निगमन का प्रमाण पत्र	
15. डीआईएन संख्या सहित निदेशकों के नाम	
16. विशिष्ट प्राधिकार संख्या (UAN)	
17. जीएसटी संख्या	
ग. स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसी के मामले में	
18. संगठन का नाम	
19. व्यवसाय/वर्तमान पता	
20. पंजीकृत पता	
21. ईमेल	
22. फोन नम्बर	
23. विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें संगठन, इसके पते का विवरण तथा विशिष्ट प्राधिकार संख्या (यूएएन) की अधिप्राप्ति की मंशा का उल्लेख किया गया हो।	
24. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
25. जीएसटी नम्बर, यदि हो	
घ. किसी अन्य व्यक्ति के मामले में	
26. संगठन का नाम	
27. व्यवसाय/वर्तमान पता	
28. पंजीकृत पता	
29. ईमेल	
30. फोन नम्बर	
31. पंजीकरण/निगम का प्रमाण ख. पंजीकरण/निगमन का प्रमाण पत्र	
32. प्रबंधन समिति के नाम, पदनाम तथा फोन नम्बर	
33. जीएसटी नम्बर, यदि हो	
भाग ख : अंतरिती का विवरण	
1. वैयक्तिक के मामले में	
34. नाम	

35. वर्तमान पता	
36. राष्ट्रीयता	
37. जन्म तिथि	
38. ईमेल	
39. फोन नम्बर	
40. विशिष्ट प्राधिकार संख्या (UAN)	
41. जीएसटी संख्या	
ख. कम्पनी अथवा कारपोरेट के मामले में	
42. कम्पनी का नाम	
43. व्यवसाय / वर्तमान पता	
44. पंजीकृत पता	
45. ईमेल	
46. फोन नम्बर	
47. निगमन का प्रमाण- कम्पनी के निगमन का प्रमाण पत्र	
48. डीआईएन संख्या सहित निदेशकों के नाम	
49. विशिष्ट प्राधिकार संख्या (UAN)	
50. जीएसटी संख्या	
ग. स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसी के मामले में	
51. संगठन का नाम	
52. व्यवसाय / वर्तमान पता	
53. पंजीकृत पता	
54. ईमेल	
55. फोन नम्बर	
56. विभाग प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें संगठन, इसके पते का विवरण तथा विशिष्ट प्राधिकार संख्या (यूएएन) की अधिप्राप्ति की मंशा का उल्लेख किया गया हो।	
57. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
58. जीएसटी नम्बर, यदि हो	
घ. किसी अन्य व्यक्ति के मामले में	

59. संगठन का नाम	
60. व्यवसाय / वर्तमान पता	
61. पंजीकृत पता	
62. ईमेल	
63. फोन नम्बर	
64. पंजीकरण/निगम का प्रमाण ग. पंजीकरण/निगमन का प्रमाण पत्र	
65. प्रबंधन समिति के नाम, पदनाम तथा फोन नम्बर	
66. जीएसटी नम्बर, यदि हो	
भाग घ मानवरहित यान प्रणाली (UAS)	
67. विशिष्ट पहचान संख्या (UIN)	
68. मानवरहित यान प्रणाली क्षतिग्रस्त है तथा मरम्मत योग्य नहीं है (अनुरक्षण केन्द्र से प्राप्त प्रमाण पत्र अपलोड करें)	
69. मानवरहित यान प्रणाली लापता है (पता न लगाए जा सकने की रिपोर्ट अपलोड करें).	
70. शुल्क की राशि तथा संव्यवहार संख्या :	

नोट – अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के नाम, वर्तमान पता, विशिष्ट पहचान संख्या, निगमन के प्रमाण पत्र (कम्पनी के मामले में) तथा मानवरहित यान प्रणाली (UAS) की विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) मानवरहित यान प्रणाली के क्षतिग्रस्त होकर मरम्मत योग्य न होने अथवा लापता होने की सूचना के प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड की जानी हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम तथा हस्ताक्षर

तिथि :

स्थान :

अनुसूची V (नियम 24)**मौजूदा आयातित अथवा निर्मित मानवरहित यान प्रणाली के स्वीकरण की प्रक्रिया**

1. गैर-संगत मानवरहित यान प्रणाली का स्वामी अथवा परिचालक डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से www.dgca.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र यूए-6 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. मौजूदा आयातित अथवा निर्मित मानवरहित यान प्रणाली को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार की मानवरहित यान प्रणालियों को एक वैध ड्रोन स्वीकृति संख्या (डीएएन) तथा स्वामी स्वीकृति संख्या (ओएएन) न जारी कर दी गई हो।
3. ऐसे स्वामी अथवा प्रचालक अपने मानवरहित यान प्रणाली को मानवरहित यान प्रणाली संगत बनाने के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट 'मानवरहित यान प्रणाली के लिए विनिर्माण अपेक्षाएं' के साथ प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली निर्माता के पास जा सकता है। अपने परिचालन से पूर्व सभी मौजूदा आयातित मानवरहित यान प्रणालियों के लिए बिना अनुमति उड़ान नहीं (एनपीएनटी) अपेक्षाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
4. अनुपालन का प्रमाणीकरण इस उद्देश्य के लिए उचित रूप से महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत की गई एजेन्सी के द्वारा किया जाएगा।
5. मौजूदा आयातित/निर्मित मानवरहित यान प्रणाली को मानवरहित यान प्रणाली संगत बनाने के लिए इनमें आवश्यक कोई संशोधन (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) प्राधिकृत रखरखाव केंद्रों पर किया जाएगा।
6. आवेदक द्वारा निर्माणकर्ता के प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
7. महानिदेशक अपनी संतुष्टि के बाद ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से स्वीकृति जारी कर सकते हैं।
8. ऐसा व्यक्ति अनुसूची III के अंतर्गत फार्म यूए-4 में यूआईएन हेतु आवेदन करेगा।

प्रपत्र यूए-6	
मौजूदा आयातित अथवा निर्मित मानवरहित यान प्रणाली के स्वीकरण के लिए आवेदन पत्र	
मानवरहित यान प्रणाली के स्वामी/प्रचालक का विवरण	
1. प्राधिकृत स्वामी/प्रचालक का नाम	
2. नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी विशिष्ट प्राधिकरण संख्या	
3. ड्रोन स्वीकृति संख्या (डीएएन)	
4. स्वामी स्वीकृति संख्या (ओएएन)	
5. पता	
6. ई-मेल आईडी	
7. फोन सं.	
आयातित/निर्मित मानवरहित यान प्रणाली का विवरण	
8. प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली आयातकर्ता/विनिर्माता का नाम	
9. नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी विशिष्ट प्राधिकरण संख्या:	

10. पता	
11. ई-मेल आईडी	
12. फोन सं.	
13. अधिमन्य परीक्षण प्रयोगशाला अथवा संगठन:	
i).	
ii).	
iii).	
मानवरहित यान प्रणाली का विवरण:	
क) वर्ग:	
ख.) वर्गीकरण:	
ग.) मॉडल नाम /संख्या:	
घ.) स्थायी विंग/ चक्रीय विंग:	
ड.) अधिकतम कुल भार:	
च.) इंजन/ मोटर:	
i). प्रकार:	
ii). पॉवर रेटिंग तथा	
iii). इंजनों/मोटरों का क्रमांक	
छ.) कुल ईंधन क्षमता (किग्रा)/बैटरी क्षमता (एमएएच):	
ज.) अनुकूल पैलोड:	
(i) निश्चित अथवा परिवर्तनशील अथवा दोनों	
(ii) पैलोड का अधिकतम भार (किग्रा)	
(iii) क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन	
i) प्रक्षेपण तथा पुनर्प्राप्ति प्रकार (जो भी लागू हो):	
j) समग्र आयाम (l x b x h) (a 3 व्यू रेखांकन को संलग्न करें):	
14. डब्ल्यूपीसी विंग से ईटीए की प्रतिलिपि (संलग्न की जानी है):	
15. आपातकालीन पुनर्प्राप्ति प्रणाली संस्थापन का विवरण:	
16. उपकरणों का विवरण (✓ उपयुक्त बक्से):	

<input type="checkbox"/> जीएनएसएस	<input type="checkbox"/> आरटीएच
<input type="checkbox"/> भू-बाड	<input type="checkbox"/> टक्कर-रोधी लाइट
<input type="checkbox"/> उड़ान नियंत्रक	<input type="checkbox"/> उड़ान डेटा लॉगिंग क्षमता
<input type="checkbox"/> एनपीएनटी	<input type="checkbox"/> एसएसआर ट्रांसपोंडर/एडीएस-बी ओयूटी
<input type="checkbox"/> कमान एवं नियंत्रण लिंक	<input type="checkbox"/> वास्तविक समय निगरानी प्रणाली
<input type="checkbox"/> बैरोमीटर उपकरण	<input type="checkbox"/> पता लगाने व ढालने की क्षमता
<input type="checkbox"/> निर्माता क्रमांक संख्या	<input type="checkbox"/> अग्नि प्रतिरोधी पहचान प्लेट

(जीएनएसएस – वैश्विक दिक्चालन उपग्रह प्रणाली; एनपीएनटी – बिना अनुमति-उड़ान नहीं; आरटीएच- घर वापसी)

17. 'मानवरहित यान प्रणाली के लिए निर्माण अपेक्षाओं' का अनुपालन	
18. धनराशि तथा लेन-देन संख्या के साथ शुल्क:	

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

आयातकर्ता/निर्माता/स्वामी/प्रचालक

का नाम व हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

अनुसूची VI (नियम 29)

मानवरहित यान प्रणाली परिचालन परमिट (यूएओपी) जारी करने और नवीकरण की प्रक्रिया

- मानवरहित यान के लिए परिचालन परमिट अथवा ऑपरेटर परमिट के नवीकरण की माँग करने वाला एक प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली परिचालक डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से, www.dgca.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र यूए-7 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- मानवरहित यान प्रणाली परिचालक परमिट की शर्तों में निम्न शामिल हैं:
 - मानवरहित यान प्रणाली परिचालक इन नियमों के अधीन विभिन्न अनुसूचियों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं का पालन करेगा।
 - मानवरहित यान प्रणाली परिचालक परमिट अहस्तांतरणीय होगा।

- iii. मानवरहित यान प्रणाली परिचालन परमिट धारक मानवरहित यान प्रणाली के उड़ान भरने अथवा जमीन पर उतरने के लिए विधिवत रूप से भूमि/संपत्ति के स्वामी/स्थानीय प्राधिकरण को सूचना दिए बगैर इस प्रकार के क्षेत्र में परिचालन नहीं करेगा।
 - iv. मानवरहित यान प्रणाली परिचालन परमिट धारक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी विमानन सुरक्षा विनियमों का पालन करेगा।
 - v. परिचालन के दौरान मानवरहित यान प्रणाली परिचालन परमिट धारक परिचालन के दौरान व्यक्ति एवं उसकी संपत्ति की निजता सुनिश्चित करेगा।
 - vi. मानवरहित यान प्रणाली परिचालन परमिट धारक अन्य किसी स्थानीय अथवा राज्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करेगा।
 - vii. मानवरहित यान प्रणाली परिचालन परमिट के अधीन परिचालित हो रहे सभी मानवरहित विमानों के पास नियमों में विनिर्दिष्ट वैध बीमा होना चाहिए।
3. ऊँचाई एवं हवाई क्षेत्र बाध्यताओं सहित महानिदेशक किसी अन्य शर्तों को भी विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।
 4. प्रचालक परमिट की वैधता की निरंतरता ऐसी शर्तों के अध्वधीन होगी जैसी महानिदेशक द्वारा परमिट में निर्धारित की गई हों।
 5. आवेदक अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान करेगा।
 6. महानिदेशक अपनी संतुष्टि के उपरांत आनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से यूएओपी जारी कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो।

फार्म यूए-7			
मानवरहित यान प्रणाली परिचालन परमिट (यूएओपी) को जारी अथवा नवीकृत करने का आवेदन पत्र		नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल वैयक्तिक मामले में)	
		हस्ताक्षर	
भाग-क			
प्राधिकृत मानवरहित यान प्रणाली परिचालन संख्या			
1. नाम			
2. राष्ट्रीयता			
3. ई-मेल			
4. फोन नंबर			
5. वस्तु एवं सेवा कर संख्या, यदि उपलब्ध हो तो			
भाग-ख: मानवरहित यान प्रणाली का विवरण			
6. मानवरहित यान प्रणाली संख्या			
7. मानवरहित यान प्रणाली का मेक एवं मॉडल			

8. विनिर्माण क्रमांक संख्या			
9. मानवरहित यान प्रणाली की श्रेणी			
10. मैक्स एयूडब्ल्यू			
11. रोटरी विंग/स्थायी विंग			
12. पैलोड विवरण			
13. ईटीए			
14. यूआईएन			
भाग-ग: योग्यता प्राप्त रिमोट पायलट/मानवरहित पायलट लाइसेंस का विवरण			
15. योग्यता प्राप्त रिमोट पायलट का नाम			
16. योग्यता का विवरण			
17. मानवरहित यान प्रणाली पायलट लाइसेंस धारक का नाम			
18. मानवरहित यान प्रणाली पायलट लाइसेंस संख्या			
19. विदेशी नागरिकों के संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनुमति			
20. शुल्क की राशि तथा संव्यवहार संख्या			
21. मौजूदा यूएओपी संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)			
शुल्क			
मानवरहित यान प्रणाली का वर्ग	शुल्क की धनराशि	लेन-देन का विवरण	

टिप्पणी: सभी अपेक्षित दस्तावेज, जैसे यूनिक प्राधिकार संख्या, ईटीए, यूआईएन, अर्हक रिमोट पायलट या रिमोट पायलट लाइसेंस (जैसा कि लागू हो), गृह मंत्रालय से अनापत्ति (यदि लागू हो), अपलोड किए जाएंगे।

यूएओपी के नवीकरण के लिए, फॉर्म यूए-7 के भाग ख और ग में कोई भी परिवर्तन अपलोड किया जाएगा।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

अनुसूची VII (नियम 31, 32 तथा 33)

खंड क

‘योग्यताप्राप्त रिमोट पायलट’ के लिए अपेक्षाएं

- (1) व्यक्ति की उम्र अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- (2) व्यक्ति ने कक्षा X अथवा इसके समकक्ष की परीक्षा एक मान्यताप्राप्त बोर्ड से पास की हो।
- (3) व्यक्ति दिमागी तौर से स्वस्थ व चिकित्सीय दृष्टि से फिट होना चाहिए।
- (4) व्यक्ति मानवरहित यान प्रणाली एवं महानिदेशक द्वारा जारी निर्देशों से परिचित होना चाहिए।
- (5) व्यक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार एक मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संगठन अथवा संस्थान से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ होना चाहिए।
- (6) 65 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति ‘रिमोट पायलट की अहर्ता’ प्राप्त नहीं कर सकता है।

खंड ख

रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए अपेक्षाएं

1. इन नियमों के अधीन नया रिमोट पायलट लाइसेंस या रिमोट पायलट के लाइसेंस का नवीकरण की माँग करने वाला व्यक्ति प्रपत्र यूए-8 में, www.dgca.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. व्यक्ति योग्यताप्राप्त रिमोट पायलट की खंड क में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करेगा।
3. व्यक्ति महानिदेशक द्वारा अपेक्षानुसार, पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से निर्धारित प्रपत्र में एक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करेगा।
4. व्यक्ति प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन अथवा संस्थान से उपयुक्त मानवरहित यान प्रणाली की श्रेणी का एक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
5. व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट एवं संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार एक आनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
6. विशाल मानवरहित यान के मामले में व्यक्ति फ्लाइट रेडियो टेलीफोन आपरेटर का दूरसंचार मंत्रालय का लाइसेंस जमा करेगा।
7. आवेदक अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान करेगा।
8. महानिदेशक अपनी संतुष्टि के उपरांत रिमोट पायलट लाइसेंस जारी कर सकते हैं या रिमोट पायलट लाइसेंस का नवीकरण, जैसा भी मामला हो, कर सकता है।

फार्म यूए-8			
रिमोट पायलट लाइसेंस जारी करने या नवीकरण के लिए आवेदन पत्र			
1.	नाम		नवीनतम फोटोग्राफ
2.	पिता का नाम		
3.	जन्म तिथि		
4.	राष्ट्रियता		

5.	ई-मेल आईडी					
6.	फोन नंबर					
7.	स्थायी पता					
8.	पत्राचार का पता		हस्ताक्षर			
9. शैक्षिक योग्यता						
परीक्षा		बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम		वर्ष	परिणाम	
कक्षा X अथवा समकक्ष						
10. चिकित्सीय स्वस्थता						
पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) का नाम		चिकित्सा परीक्षण का दिनांक		चिकित्सा केंद्र	टिप्पणी, यदि कोई हो	
11. नागर विमानन महानिदेशालय ऑनलाइन परीक्षा						
परीक्षा का नाम		को उत्तीर्ण	अनुक्रमांक सं.	परिणाम की तिथि	तक वैध	टिप्पणी, यदि कोई हो
12. प्रशिक्षण						
प्रशिक्षण संगठन/संस्थान का नाम		से (दिनांक)	तक(दिनांक)	सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र संख्या		टिप्पणी, यदि कोई हो
13. बड़े मानवरहित यान के संबंध में एफआरटीओएल का विवरण						
एफआरटीओएल संख्या		जारी करने की तिथि	तक वैध	टिप्पणी, यदि कोई हो		
14.	क्या आप पूर्ववर्ती 5 वर्षों में मानवरहित यान प्रणाली की दुर्घटना/आकस्मिक घटना में शामिल रहे हो					हां/नहीं
	यदि हां, तो उस पर ली गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, तो उसका विवरण दें:-					
15.	यदि कोई भारतीय उड़ान क्रू लाइसेंस धारक हैं, तो उसका विवरण दें					
लाइसेंस का नाम व संख्या		जारी करने की तिथि		तक वैध		

16. शुल्क का विवरण			
लेन-देन संदर्भ सं.	दिनांक	धनराशि	

नोट- रिमोट पायलट लाइसेंस के नवीकरण के लिए, मौजूदा रिमोट पायलट लाइसेंस और अद्यतन प्रशिक्षण अभिलेख, चिकित्सा उपयुक्तता (मेडिकल फिटनेस) प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक:

स्थान:

नाम एवं हस्ताक्षर

खंड ग

प्रशिक्षण हेतु अपेक्षाएं

1. योग्यता प्राप्त रिमोट पायलट (क्यूपीआर) बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन अथवा संस्थान से आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
2. मानवरहित यान प्रणाली के प्रशिक्षण में सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम समाहित होंगे।
3. प्रशिक्षण में योग्यता प्राप्त रिमोट पायलट एवं रिमोट पायलट लाइसेंस का विशेष पाठ्यक्रम होगा।
4. मानवरहित यान प्रणाली की श्रेणियों एवं वर्गों के आधार पर सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

खंड घ

मानवरहित यान प्रणाली प्रशिक्षण संगठन के लिए अपेक्षाएं

1. प्रशिक्षण संगठन या संस्थान का प्राधिकार या प्रशिक्षण संगठन या संस्थान के प्राधिकार का नवीकरण मांगने वाला आवेदक, वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म यूए-9 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. आवेदक, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करेगा।
3. आवेदक अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान करेगा।
4. महानिदेशक, अपनी संतुष्टि होने पर, नया प्राधिकार-पत्र जारी कर सकता है या प्राधिकार-पत्र संख्या की वैधता का नवीकरण कर सकता है।

फार्म यूए-9			
प्रशिक्षण संगठन या संस्थान के प्राधिकार या प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र			
क्रम. संख्या.	विवरण	सूचना	टिप्पणी यदि कोई हो तो
1.1	प्रशिक्षण संगठन अथवा संस्थान का नाम		
1.2	पंजीकृत पता		
1.3	वर्तमान/व्यावसायिक पता		
1.4	फोन नंबर		
1.5	ई-मेल		
1.6	जीएसटी नंबर		
1.7	कंपनी के मामले में उनके डीआईएन नंबर के साथ निदेशक मंडल का नाम न्यासों एवं सोसाइटी के मामले में न्यासी और सदस्यों का नाम केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसी के मामले में विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष/सीईओ का नाम।		
1.8	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम		
1.9	उस मानवरहित यान की श्रेणी व वर्ग जिस पर प्रशिक्षण दिया जाना है।		
1.10	मानवरहित यान के विभिन्न वर्गों के लिए मानवरहित यान प्रणाली प्रशिक्षक (कों) की संख्या		
1.11	परिचालन का प्रमुख बेस		
1.12	शुल्क की धनराशि तथा लेन-देन का ब्यौरा		
1.13	प्रशिक्षण संगठन के लिए मौजूदा प्राधिकार (नवीकरण के आवेदन के मामले में)		

1. मानवरहित यान प्रणाली का विवरण

क्रम./सं.	मानवरहित यान की श्रेणी	स्वामित्व/ पट्टे पर	यूआईएन	मेक एवं मॉडल

2. प्रलेखन (तक. एवं परिचालन)

क्र./सं.	प्रलेखन	स्थिति (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
1.	प्रशिक्षण एवं प्रक्रिया मैनुअल (टीपीएम)।	
2.	मानवरहित यान प्रणाली के लिए परिचालनीय मैनुअल	

नोट- नाम, पता एवं संगठन के निगमन/पंजीकरण के समर्थन में स्व-प्रमाणित दस्तावेज एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जाने हैं।

स्थानीय प्राधिकारी, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा उनकी एजेन्सी के मामले में संगठन का नाम, पता एवं स्थिति उल्लिखित करता हुआ विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र।

नवीकरण के लिए, सभी अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक:

स्थान:

नाम एवं हस्ताक्षर

अनुसूची VIII (नियम 34)**गैर प्रचालनीय क्षेत्र****1. परिचालन की बाध्यताएं****1.5 मानवरहित यान उड़ान नहीं भर सकता:**

- 1) मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एवं हैदराबाद हवाईअड्डों की 5 किलोमीटर परिधि की दूरी के भीतर;
- 2) पैरा 1.1 (क) में वर्णित हवाईअड्डों के अतिरिक्त किसी नागरिक, निजी अथवा रक्षा हवाईअड्डों की 3 किलोमीटर की दूरी के परिधि के भीतर;
- 3) एक परिचालनीय हवाईअड्डे के विमान परिचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई बाध्यताओं से संबंधित विनिर्दिष्ट नियमों में, बाधा सीमा सतहों (ओएलएस) अथवा पैन्स-ओपीएस सतहों, जो भी नीचे हो, के ऊपर;
- 4) टीआरए एवं टीएसए सहित स्थायी अथवा अस्थायी निषिद्ध एवं खतरनाक क्षेत्र, जैसा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एआईपी में अधिसूचित किया गया है, के अंतर्गत;
- 5) अंतर्राष्ट्रीय सीमारेखा जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी), लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) तथा एक्चुअल ग्राउंड पोজিশन लाइन (एजीपीएल) शामिल है के 25 किलोमीटर के अंतर्गत;
- 6) तट रेखा से समुद्र में 500 मीटर (क्षैतिज) से बाहर बशर्ते कि ग्राउंड स्टेशन की स्थिति जमीन पर निर्धारित प्लेटफार्म पर हो;
- 7) सैन्य प्रतिष्ठानों/सुविधाओं/जहाँ सैन्य गतिविधियां/अभ्यास निष्पादित किये जा रहे हों उनसे 3 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत जब तक कि स्थानीय सैन्य संस्थान/सुविधा से अनुमति न मिल गई हो;

- 8) दिल्ली में विजय चौक से 5 किलोमीटर के दायरे में हालांकि यह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा लगाए जाने वाली अतिरिक्त शर्तों के अधीन है।
 - 9) गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित रणनीतिक स्थानों/महत्वपूर्ण संस्थानों की परिधि से 2 किलोमीटर के भीतर, जब तक कि गृह मंत्रालय से अनुमति न प्राप्त कर ली जाए;
 - 10) राज्य राजधानियों में राज्य सचिवालय परिसर से 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर;
 - 11) चलनशील प्लेटफार्म जैसे कि एक चलते वाहन, पोत अथवा हवाई जहाज से; तथा
 - 12) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारणों के आसपास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के ऊपर।
- 1.2 अपवादजन्य परिस्थितियों में सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी हवाईअड्डा परिचालक से अनुरोध प्राप्त होने पर महानिदेशक मानवरहित यान को चयनित प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

अनुसूची- IX (नियम 43, 44 तथा 45)

ड्रोन पोर्ट के प्राधिकरण अथवा लाइसेंस की अपेक्षाएं

1. ड्रोनपोर्ट के प्राधिकरण अथवा लाइसेंस या लाइसेंस के नवीकरण की मांग करने वाला आवेदक फार्म यूए-10 में, www.dgca.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. ऐसे प्राधिकरण अथवा लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए प्रलेखन अपेक्षाएं तथा शर्तें महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने अनुसार होंगी।
3. आवेदक अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान करेगा।
4. महानिदेशक, अपनी संतुष्टि होने पर, ड्रोन पोर्ट के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस जारी कर सकता है या लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है।

फार्म यूए-10		
ड्रोनपोर्ट के प्राधिकरण अथवा लाइसेंस को जारी करने या लाइसेंस का नवीकरण हेतु आवेदनपत्र		नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल वैयक्तिक मामले में)
		हस्ताक्षर
भाग क केवल एक व्यक्ति के लिए		
1. नाम		
2. लिंग		
3. राष्ट्रियता		
4. जन्म तिथि		
5. ईमेल		
6. फोन नंबर		
7. पहचान के प्रमाण हेतु दस्तावेज	पासपोर्ट संख्या	
	आधार कार्ड संख्या	

कोई एक जमा करें	पैन कार्ड संख्या	
	पहचान पत्र संख्या	
	ड्राइविंग लाइसेंस नंबर	
8. निवास के प्रमाण का दस्तावेज कोई एक जमा करें	पासपोर्ट संख्या	
	आधार कार्ड संख्या	
	पहचान पत्र संख्या	
	बिजली का बिल संख्या/पानी के बिल की संख्या/ पते को दर्शाता बैंक खाते का विवरण	
9. जीएसटी सं.		
भाग ख कंपनी अथवा निगम के लिए		
10. कंपनी का नाम		
11. व्यवसाय/वर्तमान पता		
12. पंजीकृत पता		
13. ईमेल		
14. फोन नंबर		
15. निगमन का प्रमाण- कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र		
16. डीआईएन नंबरों के साथ निदेशकों के नाम		
17. जीएसटी नंबर, यदि उपलब्ध हो		
भाग ग स्थानीय प्राधिकरण, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसी के लिए		
18. संगठन का नाम		
19. व्यवसाय/वर्तमान पता		
20. पंजीकृत पता		
21. ईमेल		
22. फोन नंबर		
23. संगठन, इसके पते एवं मानवरहित यान प्रणाली को अधिग्रहित करने की इसकी मंशा का विवरण दर्शाता विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र।		
24. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम		
25. जीएसटी नंबर		

26. शुल्क धनराशि एवं लेन-देन	
27. ड्रोन पोर्ट का मौजूदा लाइसेंस संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)	

भाग घ प्रलेखन के लिए

क्र./स.	प्रलेखन	स्थिति (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
1.	भूमि/भवन विवरण	
2.	प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाणपत्र	
2.	ड्रोनपोर्ट मैनुअल	

नोट.-नाम, पता, निगमन/संगठन के पंजीकरण संबंधी स्व-प्रमाणित तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जाने हैं।
लाइसेंस के नवीकरण के लिए, सभी अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक:

स्थान:

नाम एवं हस्ताक्षर

अनुसूची- X (नियम 47, 48 एवं 49)**खंड क****मानवरहित यान प्रणाली परिवहन प्रबंधन (यूटीएम) सेवा प्रदाता के लिए अपेक्षाएं**

1. भाग लेने वाले सभी विमानों की सुरक्षा तथा बचाव के लिए मानवरहित यान प्रणाली परिचालनों को सक्षम बनाने के लिए यूटीएम प्रणाली भाग लेने वाले मानवरहित एवं मानवयुक्त विमानों को यूटीएम सेवा प्रदान करेगा।
2. केंद्र सरकार की नीति के अनुसार यूटीएम सेवा प्रमुख रूप से 1000 फीट एजीएल की ऊँचाई तक के नामित अनियंत्रित विमान क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
3. 1000 फीट एजीएल से ऊपर के अनियंत्रित विमानक्षेत्रीय वृत्तखंडों तथा नियंत्रित हवाईक्षेत्र में यूटीएम सेवा महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किये जाने के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
4. यूटीएम प्रणाली महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार हितधारकों को प्रदान की जाने वाली पंजीकरण, उड़ान-पूर्व, उड़ान के दौरान तथा उड़ान के पश्चात सेवा के प्रावधानों को शामिल करेगा।
5. यूटीएम सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।
6. भारतीय विमान क्षेत्र में यूटीएम सेवाओं के सुरक्षित और निश्चित प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए मानवरहित यान प्रणाली में एकीकृत किए जाने वाले उपकरण और प्रौद्योगिकी को महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

- 7 यूटीएम सेवा प्रदाता लाइसेंस की निरंतर वैधता ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी जो लाइसेंस में महानिदेशक द्वारा निर्धारित की जाए।
- 8 परिचालन की अपेक्षाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे, परन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे:
 - (1) यूटीएम विमान क्षेत्र का वर्गीकरण।
 - (2) मानवरहित यान के लिए हवाई नियम।
 - (3) मानवरहित यान एवं मानवयुक्त यान के मध्य पृथक्करण मानक।
 - (4) मानवरहित यान के लिए न्यूनतम भूखंड तथा बाधा अनुमति मानक।
 - (5) असंबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम अनुमति मानक; तथा
 - (6) शोर उपशमन के लिए न्यूनतम अनुमति मानक।
- 9 तकनीकी विनिर्देशनों एवं मानकों में निम्नलिखित शामिल होंगे परन्तु इन तक सीमित नहीं होंगे:
 - (1) यूटीएम अवसंरचना;
 - (2) दूरसंचार के लिए तकनीकी मानक
 - (3) यूएस-यूएस, यूएस-यूटीएम, यूटीएम-यूटीएम, यूटीएम-एसडीएसपी, यूएस-एसडीएसपी, यूटीएम-एनएसपी, यूटीएम-एटीएम तथा यूटीएम-सीयूएस संचार के लिए संचार प्रोटोकॉल; तथा
 - (4) विनिमय किये जाने हेतु न्यूनतम डेटा तत्व समूह।
- 10 परिचालन अपेक्षाओं, तकनीकी विशिष्टताओं और मानकों को महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

खंड-ख

UTM सेवा प्रदाता के लाइसेंस के लिए अपेक्षाएं

1. UTM सेवा प्रदान करने अथवा लाइसेंस का नवीकरण करवाने के लिए के लिए लाइसेंस की मांग करने वाले किसी व्यक्ति से इतर कोई व्यक्ति वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म UA-11 पर आवेदन कर सकता है।
2. UTM सेवा प्रदाता लाइसेंस की शर्तों में शामिल हैं:
 - i. UTM लाइसेंस धारक इस अनुसूची में निर्धारित सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।
 - ii. UTM लाइसेंस गैर-हस्तांतरणीय होगा।
 - iii. UTM लाइसेंस धारक महानिदेशक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।
3. आवेदक अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान करेगा।
4. महानिदेशक अपनी संतुष्टि के उपरांत UTM सेवा प्रदाता लाइसेंस जारी अथवा नवीकरण कर सकते हैं।

फॉर्म UA-11	
UTM सेवाप्रदाता के जारी अथवा नवीकरण लाइसेंस के लिए आवेदन	
1. संगठन का नाम	
2. पंजीकृत पता	
3. वर्तमान और व्यावसायिक पता	

4. कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के नाम और उनके डीआईएन सं. ट्रस्टियों और सोसाइटी के मामले में ट्रस्टी और सदस्यों का नाम केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के मामले में विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष/ का नाम।	
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
6. ईमेल	
7. फ़ोन नंबर	
8. जीएसटी सं.	
9. UTM अवसंरचना का विवरण	
10. UTM सेवाप्रदाता के रूप में अनुभव	
11. विदेशी नागरिकों के मामले में गृह मंत्रालय से सुरक्षा क्लियरेंस	
12. राशि और लेन-देन संख्या के साथ शुल्क	
13. मौजूदा लाइसेंस संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)	

नोट:- संगठन के नाम, पता और निगमन/पंजीकरण के समर्थन में स्व:प्रमाणित दस्तावेज और इन अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।

स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, केंद्रीय या राज्य सरकार या उनकी एजेंसी के मामले में विभाग के प्रमुख का प्रमाण पत्र जिसमें संगठन का नाम, पता और स्थिति दर्ज हो।

लाइसेंस के नवीकरण के लिए, सभी अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूं कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

खंड-ग

UTM कार्मिक लाइसेंस के लिए अपेक्षाएं

1. UTM सेवा प्रदान करने के लिए एक लाइसेंस की मांग या यूटीएम कार्मिक लाइसेंस के नवीकरण करने वाला कोई भी व्यक्ति वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म UA-12 पर आवेदन कर सकता है।
2. उस व्यक्ति को अधिकृत प्रशिक्षण संगठन से UTM के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. उस व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा यथापेक्षित निर्धारित फॉर्म में सरकारी अस्पताल, जो जिला अस्पताल के नीचे के स्तर का न हो, से चिकित्सा स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. उस व्यक्ति को महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और आयोजित ऑनलाइन परीक्षा पास करनी होगी।
5. उस व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार के साथ या कंप्यूटर विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
6. UTM सेवा प्रदान करने के लिए UTM कार्मिक को लाइसेंस देने हेतु अतिरिक्त योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव आवश्यकताएं महानिदेशक द्वारा यथानिर्दिष्ट होंगी।
7. आवेदक अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान करेगा।
8. महानिदेशक अपनी संतुष्टि के उपरांत UTM सेवा कार्मिक लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

फॉर्म UA-12			
UTM कार्मिक लाइसेंस को जारी करने या नवीकरण हेतु आवेदन			
1	नाम	अद्यतन पासपोर्ट आकार की फोटो (व्यक्ति के मामले में)	
2	पिता का नाम	हस्ताक्षर	
3	जन्म की तारीख		
4	राष्ट्रियता		
5	ईमेल आईडी		
6	फ़ोन नंबर		
7	स्थायी पता		
8	पत्राचार का पता		
9. शैक्षिक योग्यता			
डिग्री	संस्थान / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	परिणाम
10. चिकित्सा स्वस्थता			
सरकारी अस्पताल नाम और पता	चिकित्सा परीक्षा की तारीख	यदि कोई टिप्पणी हो	

11. नागर विमानन महानिदेशालय की ऑनलाइन परीक्षा					
परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता तिथि	अनुक्रमांक	परिणाम की तारीख	वैधता की तिथि	यदि कोई टिप्पणी हो
12. प्रशिक्षण					
प्रशिक्षण संगठन का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	सफल समापन पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या	यदि कोई टिप्पणी हो	
13. शुल्क विवरण और संव्यवहार संदर्भ संख्या					
14. मौजूदा लाइसेंस संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)					

नोट:- नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा स्वस्थता और प्रशिक्षण के समर्थन में स्व-सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाएं।

लाइसेंस के नवीकरण के लिए, सभी अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

खंड-घ

प्रशिक्षण के लिए अपेक्षाएं

1. कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंस प्राप्त UTM कर्मी बनने का इच्छुक है, उसे प्राधिकृत प्रशिक्षण संगठन से अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
2. UTM प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
3. महानिदेशक द्वारा सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाएगा।

खंड-ड.

UTM प्रशिक्षण संगठन की अपेक्षाएँ

1. UTM प्रशिक्षण संगठन से प्राधिकृति प्राप्त करने या प्राधिकार का नवीकरण का इच्छुक आवेदन वेबसाइट www.dgca.gov.in पर उपलब्ध डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म UA-13 पर आवेदन कर सकता है।
2. आवेदक अनुसूची XI में निर्धारित किये गए शुल्क का भुगतान करेगा।
3. महानिदेशक अपनी संतुष्टि के उपरांत UTM प्रशिक्षण संगठन से प्राधिकृति जारी या नवीकरण करने के लिए कर सकते हैं।

फॉर्म UA -13			
प्रशिक्षण संगठन के प्राधिकार या नवीकरण लिए आवेदन			
क्र.सं.	विवरण	सूचना	यदि कोई टिप्पणी हो
1.	प्रशिक्षण संगठन का नाम		
2.	पंजीकृत पता		
3.	वर्तमान / व्यावसायिक पता		
4.	दूरभाष		
5.	ईमेल		
6.	जीएसटी सं.		
7.	कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के नाम और उनके डीआईएन सं. ट्रस्टियों और सोसाइटी के मामले में ट्रस्टी और सदस्यों का नाम केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के मामले में विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष/ का नाम।		
8.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		
9.	UTM प्रशिक्षक (प्रशिक्षकों) की संख्या		
10.	प्रचालक का मूल कार्यालय		
11.	शुल्क राशि और लेनदेन का विवरण		
12.	प्रशिक्षण संगठन की मौजूदा प्राधिकार संख्या (नवीकरण आवेदन के मामले में)		

अभिलेखन (तकनीकी और प्रचालनिक)

क्र.सं.	अभिलेखन	स्थिति (उपलब्ध/उपलब्ध नहीं)
1.	प्रशिक्षण और प्रक्रिया नियमावली (टीपीएम)।	
2.	UTM के लिए प्रचालनिक नियमावली	

नोट:- संगठन के नाम, पता और निगमन/पंजीकरण के समर्थन में स्व:प्रमाणित दस्तावेज और इन अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।

स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, केंद्रीय या राज्य सरकार या उनकी एजेंसी के मामले में विभाग के प्रमुख का प्रमाण पत्र जिसमें संगठन का नाम, पता और स्थिति दर्ज हो।

प्राधिकार के नवीकरण के लिए, अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।

घोषणा

मैं, एतद्वारा, यह घोषित करता हूँ कि इसमें दी गई प्रत्येक सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथा लागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

अनुसूची- XI (नियम 51)**1. विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क —**

(क) (i) प्राधिकार के लिए शुल्क:

(क) आयातक या निर्माता या कारोबारी के मामले में मात्र दस हजार रुपए होगा;

(ख) 10 या इससे अधिक यूएएस के बेड़े के प्रचालक के लिए मात्र पांच हजार रुपए होगा;

(ग) 10 से कम यूएएस के बेड़े के प्रचालक के लिए शुल्क मात्र एक हजार रुपए होगा;

(घ) यूएएस स्वामी के लिए शुल्क मात्र पांच सौ रुपए होगा; और

(ङ.) प्रशिक्षण संगठन के लिए शुल्क मात्र पांच हजार रुपए होगा।

(ii) ऐसे प्राधिकार के नवीकरण या किसी भी सत्यापन, जैसा भी मामला हो, के लिए शुल्क उपबंध (क) के उप-खंड (i) के अंतर्गत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(I) UA की श्रेणी

शुल्क (रु.)

(क) नैनो 500 / -

(ख) सुक्ष्म 1,000/-

(ग) लघु 2,000/-

(घ) मध्यम 3,000 / -

(ङ.) बड़े 5,000/-

(ii) प्रमाणपत्र में किसी परिवर्तन हेतु शुल्क खंड (ख) के उप-खंड (i) के तहत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(ग) प्रत्येक मानवरहित विमान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) को जारी करने का शुल्क होगा:

(i) नैनो UA के लिए केवल एक सौ रुपए;

(ii) माइक्रो UA के लिए केवल दो सौ रुपए;

(iii) छोटे UA के लिए केवल पांच सौ रुपए;

(iv) मध्यम UA के लिए केवल एक हजार रुपए ;

(v) बड़े UA के लिए केवल दो हजार रुपए।

(घ) UAS प्रचालन के लिए परमिट देने का शुल्क निम्नलिखित होगा :

(I) UA की श्रेणी	शुल्क(रु.)
(क) सुक्ष्म	1,000/-
(ख) लघु	2,000/-
(ग) मध्यम	3,000 / -
(घ) बड़े	5,000/-

(ii) प्रमाणपत्र के नवीकरण या उसमें किसी परिवर्तन हेतु शुल्क खंड (घ) के उप-खंड (i) के तहत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(ड.) किसी भी परीक्षा शुल्क सहित UAS पायलट लाइसेंस जारी करने का शुल्क होगा:

(I) UA की श्रेणी	शुल्क (रु.)
(क) लघु	1,000/-
(ख) मध्यम	2,000/-
(ग) बड़े	3,000/-

(ii) प्रमाणपत्र के नवीकरण या उसमें किसी परिवर्तन हेतु शुल्क खंड (ड.) के उप-खंड (i) के तहत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(च) (i) UTM सेवाप्रदाता लाइसेंस शुल्क जारी करने का शुल्क केवल दस हजार रुपये होगा;

(ii) प्रमाणपत्र के नवीकरण या उसमें किसी परिवर्तन हेतु शुल्क खंड (च) के उप-खंड (i) के तहत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(छ) (i) किसी भी परीक्षा शुल्क सहित UTM कार्मिक लाइसेंस जारी करने का शुल्क केवल एक हजार रुपये होगा ;

(ii) प्रमाणपत्र के नवीकरण या उसमें किसी परिवर्तन हेतु शुल्क खंड (छ) के उप-खंड (i) के तहत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

(ज) UAS के हस्तांतरण के लिए शुल्क प्रत्येक UAS के लिए केवल पांच सौ रुपये होगा।

2. ड्रोन पोर्ट की स्थापना के लिए शुल्क - (क) निम्नलिखित के स्वीकृत के लिए शुल्क:

(i) ड्रोन पोर्ट का लाइसेंस हेतु केवल दस हजार रुपये;

(ii) ड्रोन पोर्ट के प्राधिकार हेतु केवल दो हजार रुपये।

(ख) लाइसेंस के नवीकरण हेतु शुल्क खंड (क) के उप-खंड (i) के तहत प्रभावी शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।

अनुसूची XII (नियम 60)

दंड

श्रेणी-II— अधिकतम दो वर्ष की अवधि के कारावास या अधिकतम एक लाख रुपए के दंड, या दोनों सहित दंडनीय अपराध:

क्र.सं.	अपराध की प्रकृति	प्रासंगिक नियम या नियम
1	वैधता के बिना आयातक, विनिर्माण या व्यापारी द्वारा प्राधिकृति का प्रयोग	नियम 10
2	नियम-11 का गैर-अनुपालन	नियम 11
3	यूएस या पूर्जे या तत्संबंधी घटक का अनधिकृत आयात	नियम 12 का उप-नियम (1)
4	UAS या पूर्जे या तत्संबंधी घटक का अनधिकृत निर्माता	नियम 13
5	नियम-15 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	नियम 15
6	विनिर्माण संगठन द्वारा नियम-16 का गैर-अनुपालन	नियम 16
7	नियम-18 का गैर-अनुपालन	नियम 18
8	UAS या भाग या तत्संबंधी घटक का अनधिकृत खरीद या बिक्री या लीज	नियम 20
9	नियम-25 के प्रावधानों का उल्लंघन	नियम 25
10	नियम-26 के प्रावधानों का उल्लंघन	नियम 26
11	नियम-27 के प्रावधानों का उल्लंघन	नियम 27
12	नियम-29 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	नियम 29
13	लाइसेंसधारी रिमोट पायलट से इतर भारत में बड़ी श्रेणी के UAS का प्रचालन	नियम 32 का उप-नियम (1)
14	गैर-प्रचालन क्षेत्र के ऊपर मानवरहित विमान को उड़ाना	नियम 34
15	नियम-35 के उप-नियम (2) का उल्लंघन	नियम 35 का उप-नियम (2)
16	नियम-37 के उपनियम (1) का उल्लंघन	नियम 37
17	नियम-38 का उल्लंघन	नियम 38
18	नियम-40 के प्रावधानों का उल्लंघन	नियम 40
19	नियम-41 का उल्लंघन	नियम 41
20	गैर अनुमत क्षेत्रों में ड्रोन पोर्ट या ड्रोन कॉरिडोर की स्थापना	नियम 42
21	नियम-43 के प्रावधानों का उल्लंघन	नियम 43
22	नियम 50 के उप नियम (1) के तहत जारी निर्देशों का गैर अनुपालन	नियम 50 का उप-नियम (1)
23	वैध तृतीय पक्ष बीमा के बिना UA का प्रचालन करना	नियम 52 का उप-नियम (1)
24	नियम 54 के उप नियम (3) का गैर-अनुपालन	नियम 54 का उप-नियम (3)
25	जालसाज द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई लाइसेंस, प्रमाणपत्र, प्राधिकार पर्मिट अनुमति प्रदान करना या उसके प्रयोग किए जाने की अनुमति देना।	नियम 61

श्रेणी-II – अधिकतम छह की अवधि के कारावास या अधिकतम पचास हजार रुपये के दंड, या दोनों सहित दंडनीय अपराध:

क्र.सं.	अपराध की प्रकृति	प्रासंगिक नियम या नियम
1	प्राधिकरण संख्या प्राप्त होने के उपरांत पात्रता शर्तों के प्रत्ययपत्रों में परिवर्तन के संबंध में सूचना उपलब्ध न कराना	नियम 9
2	बिना वैधता स्वामी या प्रचालक द्वारा प्राधिकार का प्रयोग	नियम 10
3	विशिष्ट पहचान संख्या के आवंटन के बिना स्वामी या प्रचालक द्वारा मानवरहित विमान का प्रचालन	नियम 17
4	भारत में UAS या उसके पूर्ण या घटक का अनधिकृत स्वामी	नियम 21
5	नियम-22 के प्रावधानों का उल्लंघन	नियम 22 का उप-नियम (1) और (2)
6	नियम 23 का गैर-अनुपालन	नियम 23
7	अनाधिकृत UAS प्रचालक द्वारा UAS का प्रचालन	नियम 28
8	नियम-30 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	नियम 30
9	'योग्य रिमोट पायलट' से इतर अन्य पायलट द्वारा UAS का प्रचालन।	नियम 31 का उप-नियम (1)
10	नियम-35 के उप-नियम (1) का उल्लंघन	नियम 35 का उप-नियम (1)
11	नियम 36 का गैर-अनुपालन	नियम 36
12	नियम 39 का गैर-अनुपालन	नियम 39

[फा. सं. एवी-11012/4/2019-डीजी]

सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd June, 2020

The Unmanned Aircraft System Rules, 2020

G.S.R. 365(E).—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 4, 5 and sub-section (2) of section 8 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to hbiswas.dgca@nic.in

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules**PART I****PRELIMINARY**

1. Short title and extent. — (1) These rules may be called the Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2020.

(2) They extend to the whole of India and shall apply also (unless the contrary intention appears) –

(a) to UAS registered in India, wherever they may be; or

(b) to a person owning or possessing or engaged in importing, manufacturing, trading, leasing, operating, transferring or maintaining a UAS in India; or

(c) to all UAS for the time being in or over India;

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(4) The provisions contained in the Aircraft Rules, 1937 shall not apply on the UAS and matters connected therewith or incidental thereto except for those provisions whose application on UAS is specifically provided in the Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2020.

2. Definitions and Interpretation. — (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context –

1) “Act” means the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);

2) “Approved UAS Operation” means an operation by a compliant UAS in accordance with these rules;

3) “Authorised UAS Importer” means a person who is authorised to import a UAS or any part or a component thereof from a place outside India under these rules;

4) “Authorised UAS Manufacturer” means a person who is authorised to manufacture UAS or any part or component thereof under these rules;

5) “Authorised UAS Owner” means a person who is authorised to own or take on lease an unmanned aircraft system (UAS) under these rules;

6) “Authorised UAS Operator” means a person authorised to engage in or offering to engage in operation of an unmanned aircraft system under these rules;

7) “Authorised UAS Trader” means a person who is authorised to trade (buy or sell or lease) a UAS or a part or a component thereof under these rules;

- 8) "Autonomous Aircraft" means an unmanned aircraft that does not require pilot intervention in the management of the flight;
- 9) "Autonomous Operation" means an operation during which a remotely piloted aircraft is operating without pilot intervention in the management of the flight;
- 10) "Beyond Visual Line-of-Sight Operation" means an operation in which the remote pilot or the observer does not use visual reference to the remotely piloted aircraft in the conduct of flight;
- 11) "Certificate of Manufacture" means a document issued by the Director-General or any other agency authorised by the Director-General to certify that the design of the unmanned aircraft system, for specific make and class, meets the requirements specified under these rules;
- 12) "Command and Control Link" means the data link between the Unmanned Aircraft and the remote pilot station for the purpose of managing the flight;
- 13) "Compliant UAS" means a UAS compliant with the requirements as laid down under these rules;
- 14) "Contracting State" means any State which is for the time being a party to the Convention on International Civil Aviation concluded at Chicago on December 7, 1944, and any amendment which may be made thereto under the provisions of Article 94 thereof;
- 15) "Controlled Airspace" means airspace of defined dimensions within which air traffic control service is provided in accordance with the airspace classification;
- 16) "Danger Area" means an airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of unmanned aircraft system exist at specified times;
- 17) "Drone Corridor" means a segregated path or airspace defined by the competent authorities for operation of UAS;
- 18) "Director-General" means Director-General of Civil Aviation;
- 19) "Drone port" means a defined area on land or water (including any buildings, installations, and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure, surface movement and associated maintenance or commercial activities of Unmanned Aircraft;
- 20) "Geo-fencing" means a feature in a software programme that uses the global positioning system or radio frequency identification to define geographical boundaries;
- 21) "Licence" means a licence issued under these rules;
- 22) "Maintenance" means the performance of tasks required to ensure the continuing airworthiness of an unmanned aircraft system, including any one or combination of overhaul, inspection, replacement, defect rectification and the embodiment of a modification or repair or test;
- 23) "Manufacturer" means a person who manufactures or assembles UAS or any part or component thereof;
- 24) "Model Remotely Piloted Aircraft System" means a Remotely Piloted Aircraft without payload used for educational or experimental purposes only and flown within visual line of sight of the person operating the Remotely Piloted Aircraft System;
- 25) "Owner" means a person who owns or takes on lease an unmanned aircraft system;
- 26) "Operator" means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in unmanned aircraft operation;
- 27) "Payload" means any component or equipment or any other material on board the unmanned aircraft that is not required for the flight or its control;

- 28) “Person” includes an individual or a company or a firm or an association of persons or body of individuals or a local authority or any legal entity, whether incorporated or not, Central or State Government or an agency thereof;
- 29) “Prohibited Area” means the airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of India within which the flights of UAS are not permitted at any time under any circumstances;
- 30) “Recreational Flying” means a flying activity of an Unmanned Aircraft only for the pleasure, leisure or enjoyment of the remote pilot;
- 31) “Remote Pilot” means a person charged by the operator with duties essential to the operation of a remotely piloted aircraft and who manipulates the flight controls, as appropriate, during flight time;
- 32) “Remotely Piloted Aircraft” means an unmanned aircraft, which is piloted from a remote pilot station;
- 33) “Remotely Piloted Aircraft System” means a remotely piloted unmanned aircraft, its associated remote pilot station(s), the required command and control links and any other components;
- 34) “Remote Pilot Station” means the component of remotely piloted aircraft system containing the equipment used to pilot the remotely piloted aircraft;
- 35) “Restricted Area” means the airspace of defined dimensions above the land areas or territorial waters of India within which the flight of unmanned aircraft system is restricted;
- 36) “Remotely Piloted Aircraft Observer” means a trained and competent person designated by the operator who, by visual observation of the remotely piloted aircraft, assists the remote pilot in the safe conduct of the flight;
- 37) “Segregated Airspace” means the airspace of specified dimensions allocated for exclusive use to a specific user(s);
- 38) “Transaction Number” means a unique number generated for identifying any transaction completed through online platform;
- 39) “Unmanned Aircraft” means an unmanned aircraft, which is intended to operate with no pilot on board;
- 40) “Unmanned Aircraft System” means an unmanned aircraft and its associated elements, which are operated with no pilot on board;
- 41) “UAS Traffic Management” means a specific aspect of air traffic management which manages UAS operations safely, economically and efficiently through the provision of facilities and a seamless set of services in collaboration with all parties and involving airborne and ground-based functions;
- 42) “UAS Traffic Management System” means a system that provides traffic management for unmanned aircraft through the collaborative integration of humans, information, technology, facilities and services, supported by air, ground or space-based communications, navigation and surveillance;
- 43) “Unique Authorisation Number” means the unique authorisation number issued to a person to act as importer or manufacturer or trader or owner or operator;
- 44) “Unique Identification Number” means the unique identification number issued for registering unmanned aircraft by the state of registry; and
- 45) “Visual Line-of-Sight Operation” means an operation in which the remote pilot or the observer maintains direct unaided visual contact with the Remotely Piloted Aircraft.
- (2) Words and terms used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II**CATEGORISATION/CLASSIFICATION**

3. Categorisation of UAS. — The UAS shall be categorized as under:

- (1) Remotely Piloted Aircraft System (RPAS);
- (2) Model Remotely Piloted Aircraft System;
- (3) Autonomous Unmanned Aircraft System.

4. Classification of Unmanned Aircraft. — The Unmanned Aircraft (UA) shall be classified based upon the Maximum All-Up-Weight (including payload) of the UA as under:

- i) Nano: Less than or equal to 250 gram;
- ii) Micro: Greater than 250 gram and less than or equal to 2 kilogram;
- iii) Small: Greater than 2 kilogram and less than or equal to 25 kilogram;
- iv) Medium: Greater than 25 kilogram and less than or equal to 150 kilogram; and
- v) Large: Greater than 150 kilogram.

Explanation. — A Nano class Unmanned Aircraft shall be regarded in the next higher category if it exceeds either of the following performance parameters:

- (a) maximum speed in level flight limited to 15 meters/second;
- (b) maximum attainable height limited to 15 meters and range limited to 100 meter from the remote pilot;

PART III**AUTHORISATION OF IMPORTER, MANUFACTURER, TRADER, OWNER AND OPERATOR**

5. Authorised Persons. — An importer, manufacturer, trader, owner or operator upon being authorised by the Director-General shall become an Authorised UAS Importer, Authorised UAS Manufacturer, Authorised UAS Trader, Authorised UAS Owner or Authorised UAS Operator respectively.

6. Authorisation of a Person. — To be authorised by the Director-General, an applicant shall meet the following requirements: —

- (i) eligibility conditions as specified in rule 7; and
- (ii) other conditions as specified in Schedule I.

7. Eligibility Conditions for Authorisation. — A person referred in rule 5 may be granted authorisation subject to fulfillment of following eligibility conditions—

- (i) an individual who is—
 - (a) a citizen of India, and
 - (b) 18 years of age or more; or
- (ii) a company or a body corporate provided that—
 - (a) it is registered and has its principal place of business within India, and
 - (b) the Chairman and at least two-thirds of its directors are citizens of India; or
- (iii) a firm or an association of persons or body of individuals or a local authority or any legal entity, whether incorporated or not, Central and State Government or an agency thereof:

Provided that for clauses (ii) and (iii) of this rule, the substantial ownership and effective control shall vest in Indian nationals.

8. Authorisation Number. — (1) Any person fulfilling the requirements under rule 6 may make an application in the manner and procedure specified in Schedule I for obtaining an authorisation number to act as an Authorised UAS Importer, Authorised UAS Manufacturer, Authorised UAS Trader, Authorised UAS Owner or Authorised UAS Operator.

(2) The Director-General on being satisfied with the requirements under rule 6 may grant a Unique Authorisation Number (UAN) to the applicant.

(3) If considered necessary, Director-General may obtain clearance from security angle of the applicant, including directors in case of corporate bodies or other persons in top management positions, from the concerned authority:

Provided that no such clearance is required for Central and State Government or agencies thereof.

9. New Authorisation. — Any change in the credentials submitted regarding eligibility conditions subsequent to issuance of authorisation number, shall be forthwith communicated to the Director-General, and a new authorisation may be issued subject to fulfillment of the conditions as specified in Schedule I.

10. Validity. — (1) Unless suspended, revoked or cancelled, an authorisation shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of five years in each case, and may be renewed for another five years at a time on receipt of the application for renewal:

Provided that an expired authorisation may be renewed only after the applicant fulfils the eligibility conditions as specified under rule 7.

(2) For renewal of validity of authorisation number, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule I.

PART IV

IMPORT, MANUFACTURE AND MAINTENANCE OF UAS

11. General. — No UAS or part or component thereof shall be imported or manufactured in India unless Certificate of Manufacture is obtained as specified in Schedule II.

12. Import of UAS in India. — (1) No person other than an 'Authorised UAS Importer' shall import a UAS or part or component thereof in India.

(2) (a) For import of a UAS or part or component thereof, the 'Authorised UAS Importer' shall make an application to the Director-General for import clearance of UAS in the manner and procedure as specified in Schedule II.

(b) The Director General may recommend for import clearance to the Directorate General of Foreign Trade.

(c) The Directorate General of Foreign Trade, may issue an import license for import of UAS, as per their norms.

13. Manufacture of UAS in India. — No person other than an 'Authorised UAS Manufacturer' shall manufacture a UAS or part or component thereof in India.

14. Manufacturing Organisations. — An authorised manufacturing organisation for UAS or a part or component thereof shall comply with the requirements as specified by the Director-General and such organisation shall be subject to inspection and safety oversight by the Director-General.

15. 'Certificate of Manufacture' for UAS. — (1) There shall be a Certificate of Manufacture in respect of UAS manufactured or imported in India.

(2) The Director-General may appoint the testing laboratories or organisations to carry out testing for purposes of certification of UAS in order to ascertain the compliance with the manufacturing requirements as specified in Schedule II.

(3) The appointment of such testing laboratories or organisations shall be in accordance with the manner and procedure as specified by the Director-General. The list of such testing laboratories or organisations shall be published in the online portal for awareness of all applicants for Certificate of Manufacture.

(4) (a) to obtain a certificate of manufacture, an 'Authorised UAS Manufacturer or Importer' shall make an application to the Director-General in the manner and procedure as specified in Schedule II;

(b) the applicant may make a choice of the testing laboratories or organisations in the order of preference;

(c) after making the application, the applicant shall be allocated a testing laboratory or an organisation by the Director-General.

(5) The applicant shall produce the UAS along with design documents to the testing laboratory or organisation allocated under sub-rule (3) in order to demonstrate that the unmanned aircraft system is in compliance with the design aspects and other manufacturing requirements as specified in Schedule II, as may be applicable for each type.

(6) The testing laboratory or organisation shall submit the test report and recommendations to the Director-General; based on which the Director-General may issue a 'Certificate of Manufacture' for the UAS:

Provided that this rule shall not apply in case of Unmanned Aircraft in Large class weighing more than 300 kilogram, and for such UAS, the provisions related to airworthiness as provided under Part VI of the Aircraft Rules, 1937 shall be applicable.

16. Maintenance of UAS. — (1) No UAS shall be operated in India unless it is maintained in accordance with the provisions of this rule.

(2) It shall be mandatory for every manufacturer or importer of UAS to be operated in India to supply a maintenance manual containing the maintenance requirements and procedures, and to provide necessary training for the maintenance personnel authorised to undertake such maintenance. The maintenance manual shall be part of the documents pertaining to the UAS, to be provided as part of the mandatory sale documents to any authorised trader, owner or operator.

(3) The manufacturer or the importer, as the case may be, may also establish authorised maintenance centres with adequately trained personnel for maintenance of UAS as per the provisions of the manufacturer's maintenance manual. The manufacturer or the importer of the UAS shall publish the information regarding the authorised maintenance centres.

(4) The manufacturer shall notify in writing to the Director-General about the authorised maintenance centres established under sub-rule (3) and such centres shall be subject to safety oversight of the Director-General. The mandatory record of maintenance at the authorised maintenance centres, and scope of safety oversight of the authorised maintenance centres shall be in a manner and procedure as specified by the Director-General.

(5) The owner and operator shall ensure that a UAS is maintained as per its Maintenance Manual and a record of such maintenance shall be kept as specified by the Director-General.

(6) No UAS or any component thereof shall be operated after it has completed its life span as specified by the manufacturer:

Provided that the provision of this rule shall not apply in case of Unmanned Aircraft in Large class weighing more than 300 kilogram, and for such UAS, the provisions related to airworthiness as provided under Part VI of the Aircraft Rules, 1937 shall be applicable.

PART V

IDENTIFICATION AND TRANSFER OF UAS

17. General. — No Unmanned Aircraft shall be owned or operated in India unless it has been allotted a Unique Identification Number (UIN).

18. Compliant UA. — Each UA shall comply with the manufacturing requirements as specified in Schedule II and acquire a valid UIN. Such UA shall be termed as a compliant UA.

- 19. Registration of UA.** — (1) An Authorised UAS Importer or Manufacturer may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule III for obtaining an UIN for an UA.
- (2) The Director-General on being satisfied about the manufacturing requirements of compliant UA, may grant a Unique Identification Number (UIN) to an UA.
- (3) Such UIN shall be affixed on the UA in an identifiable and visible manner.
- 20. Trading of UAS in India.** — No person other than an 'Authorised UAS Trader' shall engage in buying or selling or leasing of a UAS or a part or a component thereof in India.
- 21. UAS Owner in India.** — No person other than an 'Authorised UAS Owner' shall own a UAS or part or component thereof in India.
- 22. Transfer of UAS.** — (1) Sale, Lease or Transfer of UAS shall be permissible only from an authorised person to another authorised person in the manner and procedure as specified in Schedule IV.
- (2) No UAS shall be sold or leased or transferred in any other manner unless the transaction between the authorised persons has been approved by the Director-General.
- (3) Each transaction of transfer of UAS shall result into linkage of UIN with the UAN of the transferee.
- 23. Change in ownership.** — (1) The registered owner of the UAS shall forthwith notify to the Director-General in such form and manner and procedure as specified by the Director General in case of:
- (a) any transfer in the ownership of a registered UAS; or
- (b) a registered UAS ceases to be owned wholly by the registered owner;
- (c) the UAS is damaged beyond repair; or
- (d) the loss of UAS.
- (2) The Unique Identification Number of unmanned aircraft registered in India may be deregistered at any time by the Director-General on his satisfaction that the UA is destroyed, permanently withdrawn from use, missing and non traceable or the owner has transferred legal custody and control of the UAS to a person outside India.
- 24. Process for acceptance of existing imported or manufactured UAS.** — A non-compliant UAS imported to India or manufactured in India on or before the date as may be specified by Central Government may be accepted by the Director-General in accordance with manner and procedure as specified in Schedule V.
- 25. Selling of imported or manufactured UAS in India.** — An authorised UAS importer or manufacturer shall not sell a UAS to any person except to an 'Authorised UAS Trader' or an 'Authorised UAS Owner' in India.
- 26. Leasing of UAS in India.** — An Authorised UAS importer or manufacturer or trader shall not lease a UAS in India to any person except to an 'Authorised UAS Trader' or an 'Authorised UAS Owner' or an 'Authorised UAS Operator' in India.

PART VI

OPERATION OF UAS

- 27. General.** — (1) UAS are permitted to fly only in permissible areas identified in the available map on the online platform.
- (2) No imported or manufactured UAS other than a compliant UAS as specified by the Director-General shall be operated in India.
- (3) UAS shall be operated only by an authorised person assisted by a qualified remote pilot, wherever applicable.

- 28. UAS Operator**— No person other than an ‘Authorised UAS Operator’ shall operate a UAS in India.
- 29. UAS Operator Permit.** — (1) No person shall operate a UAS except a Nano Class in India, save, as per the conditions of a permit issued by the Director-General in the manner and procedure as specified in Schedule VI.
- (2) The permit granted under sub-rule (1) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, and may be renewed for a period not exceeding five years at a time;
- (3) For renewal of validity of Operator Permit, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule VI.
- (4) The Central Government may exempt any Central or State Government or agency thereof from requirements of operator permit in the interest of security of India or in national interest.
- 30. Permission for each flight.** — (1) No flight of an unmanned aircraft shall take place unless permission has been obtained through online platform in the manner and procedure as specified by the Director-General.
- (2) During the flight, the Operator or the remote pilot or the Remotely Piloted Aircraft (RPA) Observer shall ensure that the flight of the unmanned aircraft remains within the defined area for which permission was obtained.
- (3) After each flight, the Operator shall furnish a log of the flight through online platform in the manner and procedure as specified by the Director-General.
- 31. Qualified Remote Pilot.** — (1) No person other than a ‘Qualified Remote Pilot’ under these rules shall operate a UAS in India except the Nano class of UA.
- (2) The requirements for a Qualified Remote Pilot under sub-rule (1) shall be as specified in Schedule VII.
- 32. UAS Pilot Licence.** — (1) No person other than a Licensed Remote Pilot under these rules shall operate a UAS in India except the Nano and Micro classes of UA.
- (2) The authority to issue UAS pilot license shall vest with Director-General and such license shall be issued in the manner and procedure as specified in Schedule VII.
- (3) The license granted under sub-rule (2) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, and may be renewed for a period not exceeding five years at a time;
- (4) For renewal of validity of Pilot License, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule VII.
- 33. Training Requirements.** — (1) The Qualified Remote Pilot shall undergo the required training as specified in Schedule VII and such training shall be imparted by an authorised training organisation or institute which is in compliance with the requirements as specified in Schedule VII.
- (2) The authorisation of training organisation or institute may be granted as specified by the Director-General.
- (3) Such training organisation or institute shall be subject to inspection and oversight by the Director-General.
- (4) Unless suspended, revoked or cancelled, the authorisation shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of five years in each case, and may be renewed for another five years at a time on receipt of the application for renewal.
- (5) For renewal of validity of authorisation, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule VII.
- 34. No operation area.** — No person shall fly or assist in flying an unmanned aircraft over any of the areas specified in Schedule VIII, save, in accordance with the conditions specified by the Central Government.

- 35. Photography from UA in flight.** — (1) An imagery may be captured by an unmanned aircraft except in the non permissible area after ensuring the privacy of an individual and his property.
- (2) No person shall capture, or cause or permit to be captured, from an UA in flight, any imagery of the areas specified in Schedule VIII:
- Provided that the Director-General from time to time, may, by order in writing direct that such imagery of any other area as specified in the order shall not be conducted by any person.
- 36. Carriage of Payload.** — No Unmanned Aircraft shall carry any payload, save, as specified by the Director-General.
- 37. Prohibition on carriage of arms, ammunition, explosives, military stores, etc.** — (1) No person shall carry or cause or permit to be carried in any unmanned aircraft to, from, within or over India, any arms, ammunitions, munitions of war, implements of war, explosives and military stores, except with the written permission of the Central Government and subject to the terms and conditions of such permission.
- (2) Where any officer, authorised in this behalf by the Central Government, has reasons to believe that the provisions of this rule are, or are about to be, contravened, he may cause such goods to be placed under his custody pending detailed examination of the nature of the goods or pending a decision regarding the action, if any, to be taken in the matter.
- 38. Dropping of articles.** — No person shall drop or project or cause or permit to be dropped or projected from a UAS in motion anything except in a manner and procedure as specified by the Director-General.
- 39. Rules of Air.** — Every person engaged in operation of UAS shall comply with the Rules of the Air issued by Director-General, as may be applicable to that person.
- 40. Dangerous flying.** — (1) No person shall fly any UAS in such circumstances as, by reason of proximity to persons or property or aircraft or for other reason, to cause unnecessary danger to any person or property or aircraft.
- (2) No person shall operate a UAS in a physical or mental condition or under the influence of intoxicating and psychoactive substances that may interfere with safe operation of the UAS.
- 41. General safety.** — No person shall, act in any manner, either directly or indirectly, so as to –
- (a) endanger safety and security of a UAS or UAS operation;
 - (b) cause interference with the normal functioning of any facility established for the safe and secure operation of UAS;
 - (c) obstruct or distract the functioning of any person entrusted with any responsibility towards ensuring safe and secure operation of UAS;
 - (d) endanger safety and security of any person or property; or
 - (e) endanger safety and security of a manned aircraft or its operation:
- Provided that any action taken by any law enforcement agency or by an authority referred to in sub-rule (1) of rule 50 to prevent any unlawful activity through UAS operation will not amount to violation of this rule.

PART VII

DRONE PORT

- 42. General.** — Drone ports and Drone Corridors may be established in permitted areas, if warranted by the nature and requirements of UAS operation.
- 43. Licensing / Authorisation of drone ports.** — No drone port shall be used for the arrival, departure, surface movement and associated maintenance or commercial activities of Unmanned Aircraft unless:

- (a) it has been licensed for the purpose, and save in accordance with the conditions prescribed in such license; or
- (b) it has been authorised by the Director-General, subject to such conditions as he may deem fit to impose, for the purpose of temporary operation of Unmanned Aircraft.

44. Eligibility conditions for drone port license. — An authorisation or license for a drone port may be granted to a person subject to fulfilment of following eligibility conditions—

- (i) an individual who is—
 - (a) a citizen of India, and
 - (b) 18 years of age or more; or
- (ii) a company or a body corporate provided that—
 - (a) it is registered and has its principal place of business within India, and
 - (b) it meets the equity holding criteria specified by the Central Government from time to time; or
- (iii) a firm or an association of persons or body of individuals or a local authority or any legal entity, whether incorporated or not, Central and State Government or an agency thereof:

Provided that for clauses (ii) and (iii) of this rule, the Central Government may specify any other condition.

45. Grant of authorisation or license for drone port. — (1) Any person fulfilling the requirements under rule 44 may make an application in the manner and procedure specified in Schedule IX for obtaining an authorisation or license for drone port.

(2) The Director-General on being satisfied with the requirements under rule 44 may grant an authorisation or license to the applicant as the case may be.

(3) If considered necessary, Director-General may obtain clearance from security angle of the applicant, including directors in case of corporate bodies or other persons in top management positions, from the concerned authority:

Provided that no such clearance is required for Central and State Government or agencies thereof.

(4) A drone port authorisation for temporary operations of UAS may be granted for any period not exceeding three months.

(5) The license granted under sub-rule (2) shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period not exceeding five years, and may be renewed for a period not exceeding five years at a time;

(6) For renewal of validity of drone port license, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule IX.

PART VIII

Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM)

46. General. — The Central government may establish an Unmanned Aircraft Traffic Management System in Indian airspace or any part thereof, if warranted by the nature and requirements of UAS operation.

47. (1) Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM). — The Director-General may grant a license to a person for provision of UAS Traffic Management (UTM) service in the manner and procedure as specified in Schedule X.

(2) Unless suspended, revoked or cancelled, the license shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of five years in each case, and may be renewed for another five years at a time on receipt of the application for renewal.

(3) For renewal of validity of UTM Service Provider License, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule X.

48. (1) Requirement of a licence for UTM personnel. — No person shall engage himself in the provision of UTM services in the Indian airspace or in any airspace outside the Indian territory for which India has, in pursuance of any international arrangement, undertaken to provide UTM services, unless he holds a valid UTM personnel licence granted in the manner and procedure as specified in Schedule X.

(2) Unless suspended, revoked or cancelled, the license shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of five years in each case, and may be renewed for another five years at a time on receipt of the application for renewal.

(3) For renewal of validity of UTM Personnel License, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule X.

49. Training Requirements. — (1) The UTM personnel shall undergo the required training as specified in Schedule X and such training shall be imparted by an authorised training organisation which is in compliance with the requirements specified in Schedule X.

(2) The authorisation of training organisation may be granted as specified by the Director-General.

(3) Such training organisation shall be subject to inspection and oversight by the Director-General.

(4) Unless suspended, revoked or cancelled, the authorisation shall remain valid for the period specified therein, subject to a maximum period of five years in each case, and may be renewed for another five years at a time on receipt of the application for renewal.

(5) For renewal of validity of authorisation of training organisation, a person may make an application in the manner and procedure as specified in Schedule X.

PART IX

GENERAL

50. Prevention of flights in contravention of the rules.— (1) An authority authorised under section 8 of the Aircraft Act, 1934, to detain UAS may do so by the issue of a written direction to the pilot or other persons for the time being in-charge of the UAS to be detained, or by taking or causing to be taken such other steps as may, in the opinion of such authority, be necessary to make the detention effective, including the use of force, denial of access by any person to the UAS, removal of parts and components of the UAS, or otherwise interfering with the UAS.

(2) Officers of the Central Government or a State Government, including officers of armed forces, shall assist such authority in detaining the UAS and taking such steps as may, in the opinion of that authority, be necessary to make the detention effective.

(3) Any person acting in contravention of any direction given under this rule shall, without prejudice to any other penalty he may incur, be deemed to have acted in contravention of these rules.

51. Fee. — (1) The fee for authorisation, certification, Unique Identification Number, license or permit under these rules shall be payable as specified in Schedule XI.

(2) The fee shall be paid in the manner and procedure as specified by the Director-General.

52. Insurance of UAS. — (1) No UA shall be operated in India unless there is in existence a valid third party insurance policy to cover the liability that may arise on account of a mishap involving such UA and causing death or bodily injury to any person or damage to property.

(2) The compensation payable in such cases shall be assessed in such a manner and procedure as specified in the Motor Vehicles Act, 1988 and rules made there under.

53. Rules applicable to Model RPAS. — (1) The Rules contained in Parts III, IV, V (except rules 22 and 23), VI (except rules 34 to 41), VII, VIII, IX (except rules 50, 55, 59 to 62 and 64) shall not be applicable to the model RPAS.

(2) Any Model RPAS may operate only in accordance with the conditions and in the defined areas as specified by the Director-General.

54. Rules applicable to Autonomous UAS. — (1) The sub-rule (3) of rule 27 and Rules 31 and 32 shall not be applicable to the Autonomous UAS.

(2) For the purpose of Autonomous UAS, Director-General may specify conditions and other qualifications of personnel involved in operation of such UAS.

(3) Any Autonomous UAS may operate only in accordance with the conditions and in the defined areas as specified by the Director-General.

55. Adoption of the Convention and Annexes. — The Director-General may lay down standards and procedures not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and the rules made thereunder to carry out the Convention and any Annex thereto.

56. Directions by Director-General. — (1) The Director-General may, through publication of Civil Aviation Requirements or Circulars, issue special directions not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 or these rules, relating to the import, export, manufacture, sale, use, operation, possession, maintenance or navigation of UAS flying in or over India or of UAS registered in India.

(2) The Civil Aviation Requirements under sub-rule (1) shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirements of inviting such objections and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or persons to whom such direction is issued.

(4) The Director-General may, by general or special order in writing, exempt any UAS or class of UAS or any person or class of persons from the operation of the directions given in the publication entitled 'Civil Aviation Requirements' under this rule, either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.

57. General Power to exempt. — The Central Government may, by general or special order in writing, exempt any UAS or class of UAS or any person or class of persons from the operation of these rules, either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in that order.

58. Cancellation or suspension of licence, certificate, authorisation, permit and approval. — Where the Director-General or any officer authorised in this behalf by the Central Government, after giving an opportunity of being heard, is satisfied that any person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules or any direction issued under rule 55, he may, for reasons to be recorded in writing, cancel or suspend any licence, certificate, authorisation, permit or approval issued under these rules.

59. Inspection. — (1) The Director-General, or any officer of the Directorate General of Civil Aviation authorised by him by general or special order in writing, may inspect the UAS, UAS manufacturing, storage, maintenance facility, UTM facility or any other related facility for the purpose of granting an authorisation, a certificate or a licence under these rules or the provisions of the Aircraft Act, 1934,

(2) The officers authorised under sub-rule (1) may carry out surveillance including unannounced inspections of such facilities to ensure continued compliance with these rules.

(3) The Director-General may authorise any person, subject to such conditions as may be specified by the Director-General, for the purpose of examining and testing any person or UAS or inspecting any document or facility for the purposes of sub-rule (1) and such authorisation shall specify the functions of the person so authorised to perform on behalf of the Director-General and the said authorisation shall be for a period as specified therein.

(4) The persons so authorised under sub-rules (1) and (3) shall be issued credentials and shall perform the functions as assigned to them in the authorisation.

(5) The Director-General or the persons referred to in sub-rule (1) and sub-rule (3) –

(a) shall have unrestricted and unlimited access to UAS and related facilities, as applicable, for the performance of their functions and duties under these rules;

(b) may enter any premises, inspect and search any UAS or any related facility, including UTM services, and also interact with any personnel, and inspect documents and records for the purpose of securing compliance with these rules and the provisions of the Aircraft Act, 1934.

(6) The importer, manufacturer, trader, owner or operator of UAS, or a training organisation or a UTM facility shall allow the Director-General, or the person referred to in sub-rules (1) and (3), access to any part of the UAS, organisation or air navigation facility including equipment, records, documents and personnel, and shall co-operate in conducting the activities referred in sub-rules (1) and (3).

60. Penalties. — (1) Any person who has contravened or failed to comply with any of these rules or any direction issued under rule 55 shall, where no punishment is provided for such contravention in the Aircraft Act, 1934, be punishable to the extent laid down in Schedule XII of these rules.

(2) It shall be a defence to any proceedings for contravention of or failure to comply with these rules if the contravention or failure is proved to have been due to accident, stress of weather or other unavoidable cause; and it shall be a defence to any proceedings under these rules against the owner, hirer, operator, remote pilot of an unmanned aircraft system that the alleged contravention took place without his actual fault or privity.

61. Fraudulent Documents. — No person shall fraudulently lend any licence, certificate, authorisation, permit or approval issued under these rules or allow it to be used by any other person.

62. Obstruction of authorised persons. — No person shall voluntarily obstruct any person acting in the exercise of his powers or in the discharge of his duties under these rules.

63. Classification of Offences- (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the violation of sub-rule (1) of rule 12, 13, 17, 20, 21, 27, 28, 29, sub-rules (1) and (2) of rule 30, sub-rule (1) of rule 31, sub-rule (1) of rule 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 52, sub-rule (6) of rule 58, 60 and 61 shall be cognizable and non-bailable offences.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under these rules without the previous sanction in writing by the Director-General.

64. Delegation of Powers. — (1) Any power or duty conferred or imposed by these rules on the Central Government may be exercised or discharged by the Central Government or by any person authorised by it in that behalf;

(2) Any power or duty conferred or imposed by these rules on the Director-General may be exercised or discharged by the Director-General or by any other person authorised by the Central Government in that behalf.

65. Appeals. — (1) If any person is aggrieved by an order passed by an officer in exercise of a power conferred on him by these rules or delegated to him under rule 63, he may prefer an appeal to the next higher officer within sixty days of the date of the order subject to the condition that not more than two appeals shall be filed in any one case.

Note. — In case of an order passed by the Director-General, the appeal will lie to the Secretary to the Government of India in the Ministry dealing with Civil Aviation matters and there shall be no further appeal in such a case irrespective of whether it is the first or second appeal.

Schedule- I (Rule 6)**Requirements for Obtaining Authorisation as Importer, Manufacturer, Trader, Owner or Operator**

1. Any person seeking an authorisation as Importer, Manufacturer, Trader, Owner or Operator shall submit an application to the Director-General in the Form UA-1 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. The applicant shall submit the following documents along with the application.
 - (a) For an individual-
 - i. latest passport size photograph of the applicant;
 - ii. proof of identification and age- a self-attested copy of the Passport or Aadhar Card or PAN Card or Voter Identification Card or Driving License;
 - iii. proof of residence - a self-attested copy of Passport or Aadhar Card or Voter Identification Card or electricity bill or water bill or landline phone no. bill or a copy of his bank statement/ passbook not older than three months from the date of the application reflecting current address.
 - (b) For a Company or body corporate,—
 - i. proof of incorporation- a self-attested copy of the Certificate of Incorporation of the Company;
 - ii. Director Identification Number (DIN) — Names of the Directors along with their DIN Number;
 - iii. proof of registered address;
 - iv. Proof of business address.
 - (c) For local authority, Central or state Government or agency thereof,—
 - (i) Certificate of the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire a UAN;
 - (ii) Name, designation and address of Authorised Signatory.
 - (d) For any other person,—
 - (i) proof of registration/incorporation;
 - (ii) name, designation and address of management personnel;
 - (iii) proof of registered/business address
3. The applicant shall provide copy of GST certificate with its number, if applicable.
4. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
5. The Director-General upon his satisfaction may issue the requisite authorisation.
6. In case of a request for new authorisation under rule 9 or renewal under rule 10, the applicant shall submit an application to the Director-General in the Form UA-1 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in. The fee shall be the same as prescribed in Schedule XI. The changes in the credentials shall be submitted in the application form and shall also be clearly mentioned in the declaration section.
7. The Director-General upon his satisfaction may issue the new authorisation or renew the validity of Authorisation Number.

FORM UA 1		
Application for issuance or renewal of Authorisation Number to Importer, Manufacturer, Trader, Owner or Operator		<i>Fix a passport size photo (in case of an individual)</i>
		<i>Signature</i>
Select the appropriate category		
1. Manufacturer 2. Importer 3. Trader 4. Owner 5. Operator	<div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div>	
Part A For an Individual		
1. Name		
2. Gender		
3. Nationality		
4. Date of Birth		
5. Email		
6. Phone No.		
7. Document for Proof of Identity Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Card Number	
	PAN Card Number	
	Voter Identification Card Number	
	Driving License Number	
8. Document for Proof of Address Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Card Number	
	Voter Identification Card Number	
	Electricity Bill No/ Water Bill No/ Bank Account Statements showing address	
9. GST No.		

Part B For a Company or Body Corporate		
10. Name of the Company		
11. Business/Current Address		
12. Registered Address		
13. Email		
14. Phone No.		
15. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company		
16. Names of the Directors with their DIN No.		
17. GST No. if available		
18. Security clearance from Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India. (for UAS importers/ traders/ manufacturers having their principal place of business in a country other than India)		
Part C For local authority, Central or state Government or agency thereof		
19. Name of the Organisation		
20. Business/Current Address		
21. Registered Address		
22. Email		
23. Phone No.		
24. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire a UAN.		
25. Names of Authorised Signatory	a.	
	b.	
	c.	
	d.	
	e.	
26. GST No if available		

Part D For any other Person			
27. Name of the Organisation			
28. Business/Current Address			
29. Registered Address			
30. Email			
31. Phone No.			
32. Proof of Registration / incorporation- a. Certificate of Registration/ Incorporation			
33. Names Designation address and phone numbers of the Management Committee		a.	
		b.	
		c.	
		d.	
34. GST No if available			
35. Old Authorisation Number (in case of new authorisation request)			
Fees			
Category	Select the Category	Fees amount	Transaction details
Manufacturer			
Importer			
Trader			
Owner			
Operator			

DECLARATION

- a) I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action as applicable.
- b) For new authorisation, the change in credentials have been indicated in serial numbers (provide the list) –
[strikethrough if not applicable]

Name and Signature

Date:
Place:

Schedule II (Rule 11, 12 and 15)**Section A****Requirements for Obtaining Certificate of Manufacture**

1. An authorised UAS importer or manufacturer seeking a certificate of manufacture shall submit an application in Form UA-2 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. To obtain certificate of manufacture, the unmanned aircraft system shall be equipped with —
 - (i) Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver(s) for horizontal and vertical position fixing;
 - (ii) Autonomous Flight Termination System or Return To Home (RTH) option;
 - (iii) Geo-fencing capability;
 - (iv) Flashing anti-collision strobe lights;
 - (v) Flight controller;
 - (vi) flight data logging capability;
 - (vii) 'No Permission – No Takeoff (NPNT)' compliant;
 - (viii) SSR transponder (Mode 'C' or 'S') or ADS-B OUT equipment (if intended to operate beyond 400 feet/120 m AGL);
 - (ix) Reliable Command and Control Link;
 - (x) Real-time tracking system;
 - (xi) Barometric equipment with capability for remote sub-scale setting;
 - (xii) Detect and Avoid capability;
 - (xiii) Manufacturer Serial Number;
 - (xiv) Fire resistant identification plate for engraving the UIN ; and
 - (xv) Two-way communication system.
3. The NPNT Hardware and Firmware shall be tamper proof.
4. The equipment specified in clauses (iv), (vi), (vii), (viii), (x), (xi) and (xii) is not mandatory with respect to Nano class unmanned aircraft.
5. Each unmanned aircraft of Small and above class shall also be equipped with an emergency recovery system to ensure protection from damage and public injury in any failure conditions.
6. Each Certificate of Manufacture shall require an Equipment Type Approval (ETA) from Wireless Planning and Coordination (WPC) Wing, Ministry of Communications for operating in de-licensed frequency band(s).
7. In addition to above, each unmanned aircraft shall comply with other technical requirements as may be specified by the Director-General for grant of Certificate of Manufacture.
8. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
9. The Director-General upon his satisfaction may issue the Certificate of Manufacture.

Form UA-2		
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF MANUFACTURE		
1.	Name of authorised UAS importer/ Manufacturer:	
2.	Unique Authorisation Number issued by DGCA:	
3.	Current Address	
4.	E-mail ID	
5.	Phone No.	
6.	Preferred testing laboratory or organisation: (i) (ii) (iii)	
7.	Details of Unmanned Aircraft System: a) Category: b) Classification: c) Model Name / Number: d) Fixed Wing/ Rotary Wing: e) Maximum all-up-weight: f) Engine/ Motor: i) Type: ii) Power Rating and iii) Number of Engines/Motors g) Total fuel capacity (kg)/ Battery capacity (mAh): h) Compatible payload: (i) fixed or variable or both (ii) maximum weight of the payload (kg) (iii) volume in cubic centimeter i) Launch and recovery type (as applicable): j) Overall dimensions (l x b x h) (attach a 3- view drawing):	
8.	Copy of ETA from WPC Wing (to be uploaded):	
9.	Details of Emergency Recovery System installation:	

10. Details of equipment (✓ appropriate boxes):

<input type="checkbox"/> GNSS	<input type="checkbox"/> RTH
<input type="checkbox"/> Geo-fence	<input type="checkbox"/> Anti-collision light
<input type="checkbox"/> Flight controller	<input type="checkbox"/> Flight data logging capability
<input type="checkbox"/> NPNT	<input type="checkbox"/> SSR transponder/ ADS-B OUT
<input type="checkbox"/> Command and Control Link	<input type="checkbox"/> Real-time tracking system
<input type="checkbox"/> Barometric equipment	<input type="checkbox"/> Detect and Avoid capability
<input type="checkbox"/> Manufacturer Serial Number	<input type="checkbox"/> Fire resistant identification plate
<input type="checkbox"/> Two-way communication system	

(GNSS -Global Navigation Satellite System; NPNT - No Permission – No Takeoff; RTH- Return to Home)

11. Fee amount and Transaction Number:

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action as applicable.

Name and Signature

Date:
Place:

Section B**Requirements for Import Clearance**

1. An authorised UAS importer seeking an import clearance shall submit an application in Form UA-3 along with Certificate of Manufacture through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. The Director-General upon his satisfaction may issue the import clearance.

Form UA-3			
APPLICATION FOR IMPORT CLEARANCE OF UAS			
1.	Name of Authorised UAS importer		
2.	Unique Authorisation Number		
3.	In case of Company provide names of directors	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	

4.	In case of other persons provide names of top management	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
5.	Contact details Address E-mail ID Phone No.	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
6.	Nationality:		
7.	Category		
8.	Quantity of UAS		
9.	Mode of acquisition (Owner / lease)		
10.	Details of UAS proposed to be imported/ acquired		
11.	Name and address of manufacturer Nationality		
12.	Model No.		
13.	Serial Number		
14.	Date and Year of Manufacture		
15.	Fixed Wing/ Rotary Wing		
16.	New/ Used		
17.	Maximum all-up-weight		
18.	Maximum height attainable		
19.	Payload details		
20.	Mode of import (Lease/Outright Purchase):		
21.	Name & Address of the owner		
22.	Name & Address of the Lessor		
23.	Purpose of import of UAS		
24.	Security clearance, if applicable		

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

Schedule III (Rule 19)**Procedure for Registration of Unmanned Aircraft**

1. An authorised UAS importer or manufacturer seeking a Unique Identification Number (UIN) for unmanned aircraft shall submit an application in Form UA-4 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. The UIN Certificate issued shall include UIN, category of UA, class of UA, model number, manufacturer's name with serial number, year of manufacture, date of registration.
3. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
4. The Director-General upon his satisfaction may issue the UIN through the online platform.

Form UA- 4		
APPLICATION FOR UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER		
1.	Name of Authorised UAS Importer/Manufacturer	
2.	Unique Authorisation Number	
3.	Contact details Address E-mail ID Phone No.	
4.	Copy of Import License/permission (In case of Importer)	
5.	Copy of Certificate of Manufacture	
6.	Model No.	
7.	Date and Year of Manufacture	
8.	Number of UAS	
9.	Manufacturing Serial Number(s)	
10.	Fee with Amount and Transaction number	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action as applicable.

Name and Signature

Date:
Place:

Schedule- IV (Rule 22 and 23)**Requirements for Transfer or Change in Ownership of UAS**

1. Any authorised person seeking to transfer his UAS to another authorised person or giving intimation to Director-General about change in ownership shall submit an application to the Director-General in the Form UA-5 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
3. The Director-General upon his satisfaction may approve the transfer of UAS and take on record about change in ownership of UAS.
4. The UAN of Transferor linked to UIN of UAS will be delinked and the UIN of UAS will be linked to UAN of Transferee.
5. In case of intimation about damage or loss of UAS, the Director-General upon his satisfaction may deregister the UIN and take on record such deregistration of UIN.
6. A Transaction Number showing the transfer of UAS or intimation taken on record or deregistration of UIN will be issued to the person through the online platform.

FORM UA- 5	
Application for transfer or change in ownership of UAS	
Part A : Transferor details	
a. In case of individual	
1. Name	
2. Current address	
3. Nationality	
4. Date of Birth	
5. Email	
6. Phone No.	
7. Unique Authorisation Number (UAN)	
8. GST No.	
b. In case of company or corporate	
9. Name of the Company	
10. Business/Current Address	
11. Registered Address	
12. Email	
13. Phone No.	
14. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
15. Names of the Directors with their DIN No.	
16. Unique Authorisation Number (UAN)	
17. GST No.	

c. In case of local authority, Central or State Government or agency thereof	
18. Name of the Organisation	
19. Business/Current Address	
20. Registered Address	
21. Email	
22. Phone No.	
23. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire a UAN.	
24. Name of Authorised Signatory	
25. GST No if available	
d. In case of any other Person	
26. Name of the Organisation	
27. Business/Current Address	
28. Registered Address	
29. Email	
30. Phone No.	
31. Proof of Registration /incorporation- b. Certificate of Registration/ Incorporation	
32. Names Designation address and phone numbers of the Management Committee	
33. GST No if available	
Part B : Transferee details	
a. In case of individual	
34. Name	
35. Current address	
36. Nationality	
37. Date of Birth	
38. Email	
39. Phone No.	
40. Unique Authorisation Number (UAN)	
41. GST No.	

b. In case of company or corporate	
42. Name of the Company	
43. Business/Current Address	
44. Registered Address	
45. Email	
46. Phone No.	
47. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company	
48. Names of the Directors with their DIN No.	
49. Unique Authorisation Number (UAN)	
50. GST No.	
c. In case of local authority, Central or state Government or agency thereof	
51. Name of the Organisation	
52. Business/Current Address	
53. Registered Address	
54. Email	
55. Phone No.	
56. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire a UAN.	
57. Name of Authorised Signatory	
58. GST No if available	
d. In case of any other Person	
59. Name of the Organisation	
60. Business/Current Address	
61. Registered Address	
62. Email	
63. Phone No.	
64. Proof of Registration /incorporation- c. Certificate of Registration/ Incorporation	

65. Names Designation address and phone numbers of the Management Committee	
66. GST No if available	
Part C : UAS	
67. Unique Identification Number (UIN)	
68. the UAS is damaged beyond repair (upload the Certificate from Maintenance Centre)	
69. the loss of UAS (upload the Non Traceability Report)	
70. Fee amount and transaction number:	

Note- Self attested documents in support of Name, Current Address, Unique Authorisation Number (UAN), Certificate of Incorporation (in case of a Company) for both transferor and transferee, the Unique Identification Number (UIN) of the UAS, and proof of damage beyond repair or loss of UAS in case of intimation to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

Schedule V (Rule 24)

Process for acceptance of existing imported or manufactured UAS

1. Such owner or operator possessing a non-compliant UAS shall submit an application in Form UA-6 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. No existing imported or manufactured UAS shall be accepted by Director-General until such UAS has been issued with a valid Drone Acknowledgement Number (DAN) and Owner Acknowledgement Number (OAN).
3. Such owner or operator may approach an authorised UAS manufacturer to make its UAS compliant with the 'Manufacturing Requirements for UAS' as specified in Schedule II. Compliance to No Permission No Take-off (NPNT) requirement shall be mandatory for all existing imported UAS prior to their operation.
4. The compliance demonstration shall be carried out at any agency appropriately authorised by the Director-General for this purpose.
5. Any modification (hardware/software) required to be carried out on existing imported/ manufactured UAS to make it compliant UAS shall be carried out at authorised maintenance centers.
6. The applicant shall pay the fee as applicable for issuance of Certificate of Manufacture as prescribed in Schedule XI.
7. The Director-General upon his satisfaction may issue the acceptance through the online platform.
8. Such person shall make an application for UIN in Form UA-4 as under Schedule III.

FORM UA-6

Application for acceptance of existing imported or manufactured UAS

UAS Owner/ Operator details

- | | |
|---|--|
| 1. Name of authorised owner/ operator | |
| 2. Unique Authorisation Number issued by DGCA | |
| 3. Drone Acknowledgement Number (DAN) | |
| 4. Owner Acknowledgement Number (OAN) | |
| 5. Address | |
| 6. E-mail ID | |
| 7. Phone No. | |

UAS importer/ Manufacturer details

- | | |
|---|--|
| 8. Name of authorised UAS importer/ Manufacturer | |
| 9. Unique Authorisation Number issued by DGCA: | |
| 10. Address | |
| 11. E-mail ID | |
| 12. Phone No. | |
| 13. Preferred testing laboratory or organisation: | |

i).

ii).

iii).

Details of Unmanned Aircraft System:

- | | |
|---|--|
| a) Category: | |
| b) Classification: | |
| c) Model Name / Number: | |
| d) Fixed Wing/ Rotary Wing: | |
| e) Maximum all-up-weight: | |
| f) Engine/ Motor: | |
| i). Type: | |
| ii). Power Rating and | |
| iii). Number of Engines/Motors | |
| g) Total fuel capacity (kg)/ Battery capacity (mAh): | |
| h) Compatible payload: | |
| (i) fixed or variable or both | |
| (ii) maximum weight of the payload (Kg) | |
| (iii) volume in cubic centimeter | |
| i) Launch and recovery type (as applicable): | |
| j) Overall dimensions (l x b x h) (attach a 3- view drawing): | |

14. Copy of ETA from WPC Wing (to be attached):

15. Details of Emergency Recovery System installation:

16. Details of equipment (✓ appropriate boxes):



GNSS



RTH



Geo-fence



Anti-collision light



Flight controller



Flight data logging capability

<input type="checkbox"/> NPNT	<input type="checkbox"/> SSR transponder/ ADS-B OUT
<input type="checkbox"/> Command and Control Link	<input type="checkbox"/> Real-time tracking system
<input type="checkbox"/> Barometric equipment	<input type="checkbox"/> Detect and Avoid capability
<input type="checkbox"/> Manufacturer Serial Number	<input type="checkbox"/> Fire resistant identification plate
(GNSS -Global Navigation Satellite System; NPNT - No Permission – No Takeoff; RTH- Return to Home)	
17. Compliance to 'Manufacturing Requirements for UAS'	
18. Fee amount and Transaction Number:	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action as applicable.

Name and Signature of the
Importer/Manufacturer/Owner/Operator

Date:

Place:

Schedule VI (Rule 29)

Procedure for Issuance or renewal of UAS Operator Permit (UAOP)

1. An authorised UAS operator seeking an Operator Permit or renewal of the operator permit for unmanned aircraft shall submit an application in Form UA-7 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. Conditions of a UAS operator permit includes:
 - i. The UAS Operator Permit holder shall comply with all the requirements laid down in various schedules under these rules.
 - ii. The UAS Operator Permit shall be non-transferrable.
 - iii. The UAS operator permit holder shall not operate in an area without due intimation given to the land/ property owner/ local authority for takeoff and landing of UAS.
 - iv. The UAS operator permit holder shall comply with the aviation security regulations issued by Bureau of Civil Aviation Security.
 - v. The UAS operator permit holder shall ensure the privacy of individual and his property during operation.
 - vi. The UAS operator permit holder shall comply with any other local or state regulatory requirements.
 - vii. All the UA operating under UAOP shall have valid insurance as specified in the rules.
3. The Director-General may specify any other conditions including height and air space restrictions.
4. The continued validity of the operator permit shall be subject to compliance of such conditions as may be stipulated by the Director-General in the permit.
5. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
6. The Director-General upon his satisfaction may issue or renew the UAOP through the online platform, as the case may be.

FORM UA-7			
Application for Issue or Renewal of UAS Operator Permit (UAOP)		Recent passport size photo (in case of an individual)	
		Signature	
Part-A: General			
Authorised UAS Operator Number			
1. Name			
2. Nationality			
3. Email			
4. Phone Number			
5. GST No., if available.			
Part-B: Details of UAS			
6. Number of UAS			
7. Make & Model of UAS			
8. Manufacturing Serial Number			
9. Category of UAS			
10. MAX AUW			
11. Rotary Wing/Fixed Wing			
12. Payload Details			
13. ETA			
14. UIN			
Part-C: Details of Qualified Remote Pilot/UAS Pilot Licence			
15. Name of Qualified Remote Pilot			
16. Qualification Details			
17. Name of UAS Pilot Licence Holder			
18. UAS Pilot Licence Number			
19. Security Clearance from MHA in case of foreign nationals			
20. Fee amount and Transaction Number			
21. Existing UAOP Number (in case of renewal application)			

Note: All requisite documents like unique authorisation number, ETA, UIN, Qualified Remote Pilot or Remote Pilot License (as applicable), security clearance from MHA (if applicable) shall be uploaded.

For renewal of UAOP, any changes in Part B and C of Form UA-7 shall be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

Schedule VII (Rules 31, 32 and 33)

Section A

Requirements for ‘Qualified Remote Pilot’

- (a) The person shall not be less than eighteen years of age.
- (b) The person shall have passed class X or its equivalent examination from a recognized Board.
- (c) The person shall be a sound mind and medically fit.
- (d) The person shall be conversant with UAS rules and directions issued by Director-General.
- (e) The person having completed the training course from an authorised training organisation or institutes as per the requirements specified by the Director-General.
- (f) No person having age more than sixty-five years can be a ‘Qualified Remote Pilot’.

Section B

Requirements for Remote Pilot’s License

1. A person seeking a new Remote Pilot’s License or renewal of the Remote Pilot’s License under these rules shall submit an application in form UA-8 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. The person shall meet the requirements of qualified remote pilot as specified in Section A.
3. The person shall submit a certificate of medical fitness from registered medical practitioner in the prescribed form as required by the Director-General.
4. The person shall submit a certificate of training appropriate to the class of UAS from an authorised training organisation or institutes.
5. The person shall pass an online examination as per the syllabus specified and conducted by the Director-General.
6. The person shall submit a license from Ministry of Communication for Flight Radio Telephone Operator in case of Large UA.
7. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
8. The Director-General upon his satisfaction may issue or renew the Remote Pilot’s License, as the case may be.

FORM UA-8					
Application for the issue or renewal of Remote Pilot License					
1.	Name		Recent Photograph		
2.	Father's Name				
3.	Date of birth				
4.	Nationality				
5.	Email Id				
6.	Phone Number				
7.	Permanent Address				
8.	Correspondence Address		Signature		
9. Educational Qualification					
Examination		Name of Board/ university		Year	result
Class X or equivalent					
10. Medical Fitness					
Name of the Registered Medical Practitioner (RMP)		Date of medical examination		Medical Center	Remarks, if any
11. DGCA Online Examination					
Examination name		Passed on	Roll No.	Date of Result	Valid upto
12. Training					
Name of Training Organisation/ Institute		Date From	Date To	Training Certificate Number on successful completion	
13. Details of FRTOL, in case of Large UA					
FRTOL Number		Date of Issue	Valid upto	Remarks, if any	
14.	Have you been involved in UAS accident/ incident in preceding 5 years				Yes/No
	If yes, give details thereof; with the disciplinary action taken, if any:-				
15.	If, holding any Indian flight crew license please give details				
Name & number of License		Date of issue	Valid upto		
16. Fee amount and Transaction number					
17. Existing Remote Pilot License number (in case of renewal application)					

Note.- Self attested documents in support of Name, Address, Date of Birth, Educational Qualification, Medical Fitness, Training and FRTOL to be uploaded. For renewal of Remote Pilot License, copy of existing Remote Pilot License and updated training records, medical fitness to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action as applicable.

Date:

Place:

Name and Signature

Section C**Requirements for Training**

1. Any person desiring to become Qualified Remote Pilot (QRP) shall undergo requisite training from an authorised training organisation or institutes.
2. The training on the UAS shall comprise of theoretical and practical courses.
3. The training shall have specific syllabus for Qualified Remote Pilot and Remote Pilot License.
4. The syllabus of theoretical and practical courses may be specified by the Director-General based on the categories and classes of UAS.

Section D**Requirements for UAS Training Organisation**

1. The applicant seeking authorisation of Training Organisation or institute or renewal of authorisation of Training Organisation or institute shall submit an application in Form UA-9 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. All requisite documents as may be specified by the Director-General shall be submitted by the applicant.
3. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
4. The Director-General upon his satisfaction may issue or renew the authorisation for the training organisation.

Form UA-9**APPLICATION FOR AUTHORISATION OR RENEWAL OF AUTHORISATION OF TRAINING ORGANISATION OR INSTITUTE**

Sl. No.	Particulars	Information	Remarks, if any
1.1	Name of the Training Organisation or institute		
1.2	Registered Address		
1.3	Current/Business Address		
1.4	Phone Number		
1.5	Email		
1.6	GST Number		
1.7	Name of Board of Directors with their DIN No., in case of Company Name of trustee and members in case of trusts and society Name of Head of the Department /Chairman/CEO in case of central/State Govt. or agency thereof.		

1.8	Name of the Authorised Signatory		
1.9	Category and class of UA on which Training will be imparted		
1.10	Number of the UAS trainer (s) for different classes of UA		
1.11	Principal base of operation		
1.12	Fee amount and transaction details		
1.13	Existing authorisation number for training organisation (in case of renewal application)		

1. Unmanned Aircraft System Details

S/No.	Class of UA	Owned/ Leased	UIN	Make and Model

2. Documentation (Tech. & Operational)

S/NO	DOCUMENTATION	STATUS(Available/Not-Available)
1.	Training & Procedure Manual (TPM)	
2.	Operational Manual for UAS	

Note.- Self attested documents in support of Name, Address and Incorporation/registration of organisation and requisite documents to be uploaded.

In case of local authority, Central or state Government or agency thereof, Certificate of the Head of the Department providing name, address and status of the organisation.

For renewal, all the requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

Schedule VIII (Rule 34) **No Operation Area**

1. OPERATING RESTRICTIONS

1.1 No UA shall be flown:

- Within a distance of 5 kilometer from the perimeter of airports at Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Hyderabad;
- Within a distance of 3 kilometer from the perimeter of any civil, private or defence airports, other than those mentioned in Para 1.1(a);
- Above the Obstacle Limitation Surfaces (OLS) or PANS-OPS surfaces, whichever is lower, of an operational aerodrome, specified in the rules related to Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations;
- Within permanent or temporary Prohibited, Restricted and Danger Areas including TRA, and TSA, as notified in AIP by Airport Authority of India;
- Within 25 kilometer from international border which includes Line of Control (LoC), Line of Actual Control (LAC) and Actual Ground Position Line (AGPL);

- f) Beyond 500 meter (horizontal) into sea from coast line provided the location of ground station is on fixed platform over land;
- g) Within 3 kilometer from perimeter of military installations/ facilities/ where military activities/ exercises are being carried out unless clearance is obtained from the local military installation/facility;
- h) Within 5 kilometer radius from Vijay Chowk in Delhi. However, this is subject to any additional conditions/ restrictions imposed by local law enforcement agencies/ authorities in view of the security.
- i) Within 2 kilometer from perimeter of strategic locations/ vital installations notified by Ministry of Home Affairs unless clearance is obtained from MHA;
- j) Within 3 kilometer from radius of State Secretariat Complex in State Capitals;
- k) From a mobile platform such as a moving vehicle, ship or aircraft; and
- l) Over eco-sensitive zones around National Parks and Wildlife Sanctuaries notified by Ministry of Environment, Forests and Climate Change without prior permission.

1.2 The Director-General may permit flying of UA in select restricted areas on request made by any Government Authority or any airport Operator in exceptional circumstances.

Schedule- IX (Rules 43, 44 and 45)

Requirements for Authorisation or License of Drone port

1. The applicant seeking authorisation or license or renewal of license of drone port shall submit an application in Form UA-10 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. Documentation requirements for obtaining such authorisation or license and conditions of such authorisation or license shall be as specified by the Director-General.
3. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
4. The Director-General upon his satisfaction may issue the authorisation or license or renewal of license of the drone port.

FORM UA-10	
Application for issuance of Authorisation or License or renewal of license of Drone port	<i>Recent passport size photo (in case of an individual)</i>
	<i>Signature</i>
Part A For an Individual	
1. Name	
2. Gender	
3. Nationality	
4. Date of Birth	
5. Email	
6. Phone No.	

7. Document for Proof of Identity Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Card Number	
	PAN Card Number	
	Voter Identification Card Number	
	Driving License Number	
8. Document for Proof of Address Submit any one	Passport Number	
	Aadhar Card Number	
	Voter Identification Card Number	
	Electricity Bill No/ Water Bill No/ Bank Account Statements showing address	
9. GST No.		
Part B For a Company or Corporate		
10. Name of the Company		
11. Business/Current Address		
12. Registered Address		
13. Email		
14. Phone No.		
15. Proof of incorporation- Certificate of Incorporation of the Company		
16. Names of the Directors with their DIN No.		
17. GST No if available		
Part C For local authority, Central or state Government or agency thereof		
18. Name of the Organisation		
19. Business/Current Address		
20. Registered Address		
21. Email		
22. Phone No.		
23. Certificate from the Head of the Department providing details of the organisation, its address and its intent to acquire a UAN.		
24. Name of Authorised Signatory		
25. GST No.		
26. Fees amount & transaction		
27. Existing license number of drone port (in case of renewal application)		

Part D for Documentation

S/NO.	DOCUMENTATION	STATUS(Available/Not-Available)
1.	Land/Building details	
2.	NOC from Authorities	
2.	Drone port Manual	

Note.- Self attested documents in support of Name, Address, Incorporation/ Registration of organisation and requisite documents to be uploaded.

For renewal of license, all the requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

Schedule- X (Rules 47, 48 and 49)**Section A****Requirements for Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) Service Provider**

- 1 UTM System shall provide UTM service to participating unmanned and manned aircraft for enabling UAS operations for safety and security of all participating aircraft.
- 2 UTM Service should be provided primarily in designated Uncontrolled Airspace upto 1000 feet AGL in accordance with the Central Government policy.
- 3 UTM Service in segments of Uncontrolled Airspace above 1000 feet AGL and in Controlled Airspace shall be provided as specified by the Director-General.
- 4 UTM System shall include provisions for Registration, Pre-flight, In-flight and Post-flight services to stakeholders as specified by the Director-General.
- 5 The Services to be provided by UTM Service Provider shall be as specified by the Director-General.
- 6 The equipment and technology to be integrated in the UAS to ensure safe and secure provision of UTM services in Indian airspace shall be as specified by the Director-General.
- 7 The continued validity of the UTM Service Provider License shall be subject to compliance of such conditions as may be stipulated by the Director-General in the License.
- 8 The operational requirements shall include, but not limited to, the following:
 - (a) Classification of UTM Airspace.
 - (b) Rules of the Air for Unmanned Aircraft (UA).
 - (c) Separation Standards between Unmanned Aircraft and between Manned & Unmanned Aircraft.
 - (d) Minimum Terrain and Obstacle Clearance Standards for UA.
 - (e) Minimum Clearance Standards for Safety of Uninvolved Persons; and
 - (f) Minimum Clearance Standards for Noise Abatement.
- 9 The Technical Specification and Standards shall include, but not limited to, the following:
 - (a) UTM Architecture;
 - (b) Technical Standards for Communication
 - (c) Communication Protocols for UAS-UAS, UAS-UTM, UTM-UTM, UTM-SDSP, UAS-SDSP, UTM-ANSP, UTM-ATM and UTM-CUAS communication; and
 - i. (d) Minimum set of data elements to be exchanged.
- 10 The operational requirements, technical specifications and standards shall be as specified by the Director-General.

Section B**Requirements for License of UTM Service Provider**

1. Any person other than individual seeking a license or renewal of license for providing UTM service shall submit an application in Form UA-11 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. Conditions of an UTM Service Provider License includes:
 - i. The UTM License holder shall comply with all the requirements laid down in this Schedule.
 - ii. The UTM License shall be non-transferrable.
 - iii. The UTM License holder shall comply with the directions issued by the Director General.
3. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
4. The Director-General upon his satisfaction may issue or renew the UTM Service Provider License.

FORM UA-11	
Application for Issue or Renewal of License of UTM Service Provider	
1. Name of the Organisation	
2. Registered Address	
3. Current/Business Address	
4. Name of Board of Directors with their DIN No., in case of Company Name of trustee and members in case of trusts and society Name of Head of the Department/Chairman/CEO in case of central/State Govt. or agency thereof.	
5. Name of the Authorised Signatory	
6. Email	
7. Phone Number	
8. GST No.	
9. Details of UTM Infrastructure	
10. Experience as UTM Service Provider	
11. Security Clearance from MHA in case of foreign nationals	
12. Fee with Amount and Transaction number	
13. Existing License number (in case of renewal application)	

Note.- Self attested documents in support of Name, Address and Incorporation/registration of organisation and requisite documents to be uploaded.

In case of local authority, Central or state Government or agency thereof, Certificate of the Head of the Department providing name, address and status of the organisation.

For renewal of license, the requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

Section C**Requirements for UTM Personnel License**

1. Any person seeking a UTM Personnel License or renewal of the UTM Personnel License for providing UTM service shall submit an application in Form UA-12 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. The person shall submit a certificate of training appropriate to the UTM from an authorised training organisation.
3. The person shall submit a certificate of medical fitness from a Government Hospital not lower than a district hospital in the prescribed form as required by the Director-General.
4. The person shall pass an online examination as per the syllabus specified and conducted by the Director-General.
5. The person shall have Bachelors' degree in Science with Physics and Mathematics or with Electronics and Telecommunication or with Computer Science or an equivalent degree from a recognised university.
6. The additional qualifications, training and experience requirements for granting licence to UTM Personnel for providing UTM service shall be as specified by the Director-General.
7. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
8. The Director-General upon his satisfaction may issue or renew the UTM Personnel License.

FORM UA-12 Application for the issue or renewal of UTM Personnel License					
1.	Name		<i>Recent passport size photo (in case of an individual)</i>		
2.	Father's Name		Signature		
3.	Date of birth				
4.	Nationality				
5.	Email Id				
6.	Phone Number				
7.	Permanent Address				
8.	Correspondence Address				
9. Educational Qualification					
Degree		Name of Institute/university	Year	result	
10. Medical Fitness					
Name and address of the Govt. Hospital		Date of medical examination	Remarks, if any		
11. DGCA Online Examination					
Examination name	Passed on	Roll No.	Date of Result	Valid upto	Remarks, if any

12. Training				
Name of Training Organisation	Date From	Date To	Training Certificate Number on successful completion	Remarks, if any
13. Fee amount & Transaction No.				
14. Existing License number (in case of renewal application)				

Note.- Self attested documents in support of Name, Address, Date of Birth, Educational Qualifications, Medical fitness and Training to be uploaded.

For renewal of license, the requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for any penal action as applicable.

Date:

Place:

Name and Signature

Section D

Requirements for Training

1. Any person desiring to become licensed UTM personnel shall undergo requisite training from an authorised training organisation.
2. The training on the UTM shall comprise of theoretical and practical courses.
3. The syllabus of theoretical and practical courses may be specified by the Director-General.

Section E

Requirements for UTM Training Organisation

1. The applicant seeking authorisation or renewal of authorisation of UTM Training Organisation shall submit an application in Form UA-13 through digital sky platform available on website www.dgca.gov.in.
2. The applicant shall pay the fee as prescribed in Schedule XI.
3. The Director-General upon his satisfaction may issue or renew the authorisation for the UTM Training Organisation.

Form UA-13			
APPLICATION FOR AUTHORISATION OR RENEWAL OF AUTHORISATION OF TRAINING ORGANISATION			
Sl. No.	Particulars	Information	Remarks, if any
1.	Name of the Training Organisation		
2.	Registered Address		

3.	Current/Business Address		
4.	Phone Number		
5.	Email		
6.	GST Number		
7.	Name of Board of Directors with their DIN No., in case of Company Name of trustee and members in case of trusts and society Name of Head of the Department/Chairman/CEO in case of central/State Govt. or agency thereof.		
8.	Name of the Authorised Signatory		
9.	Number of the UTM trainer (s)		
10.	Principal base of operation		
11.	Fee amount and transaction details		
12.	Existing authorisation number of training organisation (in case of renewal application)		

Documentation (Tech. & Operational)

S/NO.	DOCUMENTATION	STATUS(Available/Not-Available)
1.	Training and Procedure Manual (TPM).	
2.	Operational Manual for UTM	

Note.- Self attested documents in support of Name, Address and Incorporation/registration of organisation and requisite documents to be uploaded.

In case of local authority, Central or state Government or agency thereof, Certificate of the Head of the Department providing name, address and status of the organisation.

For renewal of authorisation, requisite documents to be uploaded.

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge and I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action as applicable.

Name and Signature

Date:

Place:

Schedule- XI (Rule 51)

1. Fees for various services. —

(a) (i) The fee for authorisation of:

(A) Importer or manufacturer or trader shall be rupees ten thousand only;

(B) Operator with fleet of 10 or more UAS shall be rupees five thousand only;

(C) Operator with fleet of less than 10 UAS shall be rupees one thousand only;

(D) Owner shall be rupees five hundred only; and

(E) training organisation shall be rupees five thousand only.

(ii) The fee for renewal or any variation of such authorisation, as the case may be, shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (i) of clause (a).

(b) The fee for issue of Certificate of Manufacture for a particular UAS model shall be:

(i)	Class of UA	Fee (Rs.)
(A)	Nano	500/-
(B)	Micro	1,000/-
(C)	Small	2,000/-
(D)	Medium	3,000/-
(E)	Large	5,000/-

(ii) The fee for any variation in the certificate shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (i) of clause (b).

(c) The fee for issue of Unique Identification Number (UIN) for each unmanned aircraft shall be:

- (i) Rupees one hundred only for Nano UA;
- (ii) Rupees two hundred only for Micro UA;
- (iii) Rupees five hundred only for Small UA;
- (iv) Rupees one thousand only for Medium UA;
- (v) Rupees two thousand only for large UA.

(d) The fee for grant of permit to operate a UAS shall be:

(i)	Class of UA	Fee (Rs.)
(A)	Micro	1,000/-
(B)	Small	2,000/-
(C)	Medium	3,000/-
(D)	Large	5,000/-

(ii) The fee for renewal or any variation in the permit shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (i) of clause (d).

(e) The fee for issue of UAS pilot license inclusive of any examination fee shall be:

(i)	Class of UA	Fee (Rs.)
(A)	Small	1,000/-
(B)	Medium	2,000/-
(C)	Large	3,000/-

(ii) The fee for renewal or any variation in the permit shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (i) of clause (e).

(f) (i) The fee for issue of UTM Service Provider License fee shall be rupees ten thousand only;

(ii) The fee for renewal or any variation in the license shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (i) of clause (f).

(g) (i) The fee for issue of UTM Personnel License inclusive of any examination fee shall be rupees one thousand only;

(ii) The fee for renewal or any variation in the license shall be fifty per cent of the fee payable under sub-clause (i) of clause (g).

(h) The fee for transfer of UAS shall be rupees five hundred only for each UAS.

2. Fee for establishment of drone port. — (a) The fee for the grant of:

(i) License of drone port shall be rupees ten thousand only;

(ii) Authorisation of drone port shall be rupees two thousand only.

(b) The fee for renewal of license shall be fifty per cent of the fee chargeable under sub-clause (i) of clause (a).

SCHEDULE XII (Rule 60)

Penalties

Category I — Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding two years or with fine not exceeding one lakh rupees, or with both:

S.No.	Nature of offence	Relevant rule or rules
1.	Use of an authorisation by importer, manufacture or trader without validity	Rule 10
2.	Non-compliance of rule 11	Rule 11
3.	Unauthorised importer of a UAS or part or component thereof	Sub-rule (1) of Rule 12
4..	Unauthorised manufacturer of a UAS or part or component thereof	Rule 13
5.	Non-compliance with the provisions of rule 15.	Rule 15
6.	Non-compliance of the rule 16 by manufacturing Organisation.	Rule 16
7.	Non-compliance of rule 18.	Rule 18
8.	Unauthorised buying or selling or leasing of a UAS or a part or a component thereof.	Rule 20
9.	Contravention of the provisions of rule 25	Rule 25
10.	Contravention of the provisions of rule 26	Rule 26
11.	Contravention of the provisions of rule 27	Rule 27
12.	Non-compliance with the provisions of rule 29.	Rule 29
13.	Operating a large category UAS in India other than a Licensed Remote Pilot.	Sub-rule (1) of Rule 32
14.	Flying an unmanned aircraft over no-operation area	Rule 34
15.	Contravention of sub-rule (2) of rule 35	Sub-rule (2) of Rule 35
16.	Contravention of sub-rule (1) rule 37	Rule 37
17.	Contravention of rule 38	Rule 38
18.	Contravention of the provisions of rule 40	Rule 40
19.	Contravention of rule 41	Rule 41
20.	Establishment of Drone port or Drone corridor in unpermitted areas.	Rule 42
21.	Contravention of the provisions of rule 43	Rule 43
22.	Non-compliance of directions issued under sub-rule (1) of rule 50	Sub-rule (1) of Rule 50
23.	Operating UA without a valid third party insurance	Sub-rule (1) of Rule 52
24.	Non-compliance of sub-rule (3) of rule 54	Sub-rule (3) of Rule 54
25.	Fraudulently lend any licence, certificate, authorisation, permit or approval or allow it to be used by any other person.	Rule 61

Category II — Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine not exceeding fifty thousand rupees, or with both:

S.No.	Nature of offence	Relevant rule or rules
1.	Non-providing information regarding change in the credentials of eligibility conditions subsequent to issuance of authorisation number.	Rule 9
2.	Use of an authorisation by owner or operator without validity	Rule 10
3.	Owens or operates an Unmanned Aircraft without allotment a Unique Identification Number.	Rule 17
4.	Unauthorised owner a UAS or part or component thereof in India	Rule 21
5.	Contravention of the provisions of rule 22	Sub-rule (1) and (2) of Rule 22
6.	Non-compliance of rule 23.	Rule 23
7.	Operating a UAS by an unauthorised UAS Operator.	Rule 28
8.	Non-compliance with the provisions of rule 30.	Rule 30
9.	Operating a UAS other than a 'Qualified Remote Pilot.	Sub-rule (1) of Rule 31
10.	Contravention of sub-rule (1) of rule 35	Sub-rule (1) of Rule 35
11.	Non-compliance of rule 36	Rule 36
12.	Non-compliance of rule 39	Rule 39

[F. No. AV-11012/4/2019-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.